हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक — लखनऊ

जून, 2013 वर्ष 12 अंक 04

दुष्ट से मित्रता न कर

मित्रता हरगिज न कर तू दुष्ट से
सर्प की सगंत भली है दुष्ट से
सर्प काटे जान ही तो जाएगी
दुष्टता ईमान भी ले जाएगी
दुष्ट से तू दुष्टता को दूर कर
वरना अपने को तू उस से दूर कर
रह भला और तू भलों का साथ दे
दीन के तू सेवकों का साथ दे

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ — 226007
फोन : 0522—2740406
फैक्स : 0522—2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 15/-
वार्षिक	₹ 150/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ—226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

Desining & Editing by : Qamaruzzama- +91 94522 95052, +91 7275527805

विषय एक दृष्टि में

क़ुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
दीन दारों के लिए काम के मैदान	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	7
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रह0	10
ईमान वाले की तलाश	मौलाना सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी	12
साइबर–वे की हानियाँ	अब्दुल अज़ीम मुअल्लिम नदवी	15
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	18
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी	मतीन तारिक़ बाग़पती	21
अल्लाह पर भरोसा	मौलाना सैय्यद हामिद अली	24
इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर	नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी	27
शराब कल्चर को प्रोत्साहित कर	सम्पादन प्रभाग से ग्रहीत	28
जिन्सी तशद्दुद (यौन हिंसा)	मुहम्मद ज़बीहुल्लाह तैमी	31
बच्चों का हक़ माँ–बाप पर	इदारा	35
समाज से बुराईयाँ दूर करें	अमतुल्लाह तस्नीम	36
शादी की रस्में	डॉ0 मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम	38
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बक़रः

अनुवाद :-

और जिन्होंने हिजरत (देश त्याग) की और लड़े अल्लाह की राह में, वह उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के और अल्लाह बख़्शने में मेहरबान है1(218)। तुझसे पूछते हैं हुक्म शराब का और जुए का 2, कह दे उन दोनों में बड़ा गुनाह है और फायदे भी हैं लोगों को और उनका गुनाह बहुत बड़ा है उनके फायदे से3, और तुझसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कह दे जो बचे अपने खर्च से4, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए हुक्म, ताकि तुम फिक्र करो219 ।

तफ्सीर (व्याख्या):-

1. आयत उतरी कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत और अल्लाह के लिए उसके दुश्मनों से लड़े, अपना स्वार्थ उस युद्ध में न था, वह बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार और उसके योग्य हैं। और अल्लाह अपने बन्दों की खताएं बख़्शने वाला और उनपर ईनाम फरमाने वाला है, वह ऐसे मानने वालों को वंचित न करेगा।

2. शराब और जुए के बारे में कई आयतें उतरीं, हर एक में उनकी बुराई ज़ाहिर की गई। सूरः माइदा की आयत में साफ मना किया गया है। अब जो चीज़ें नशा दिलावें वह सब हराम। और जो शर्त किसी चीज़ पर जिसमें हार और जीत हो वह महज़ हराम है और एक तरफ की शर्त हराम नहीं।

3. शराब पीने से अक़्ल जाती रहती है और इससे लड़ाई व कत्ल वगैरह तरह-तरह की खराबियों की नौबत आती है और विभिन्न प्रकार के रोग रूहानी और जिस्मानी पैदा होते हैं जो कभी-कभी मौत का कारण बनते हैं और जुआ खेलने में हराम माल का खाना और आपसी दुश्मनी पेश आती है। हाँ! इनमें सरसरी नफा भी है, उदाहरणतः शराब पी कर लज्ज़त व सुरूर हो गया और जुवा खेलकर बिना मेहनत माल हाथ गया।

4. लोगों ने पूछा था की माल अल्लाह के वास्ते किस कदर खर्च करें, हुक्म हुआ कि जो अपने खर्चे ज़रूरी से अधिक हों, क्योंकि जैसे आख़िरत की फिक्र ज़रूरी है वैसे ही दुनिया की फिक्र ज़रूरी है, यदि पूरा माल उठा डालो तो अपनी ज़रूरतें क्यों कर पूरा करो और जो हुकूक तुम पर लाज़िम हैं उनको क्योंकर अदा करो मालूम नहीं किस-किस खराबी दीनी और दुनियावी में फंसो।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

जमाअत के छोड़ने पर शैतान का हमला

–अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबुदर्दा रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस गाँव या जंगल में तीन आदमी हों और वह नमाज़ बाजमाअत न पढ़ते हों तो उनपर शैतान भारी पड़ जाता है, तो तुम जमाअत को लाज़िम कर लो, देखो भेडिया उन बकरियों को खा जाता है जो रेवड़ से दूर रहती हैं। (अबुदाऊद)

सुबह व शाम जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत–

हज़रत उस्मान बिन अफ्फान रज़ि0 कहते हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहते हुए सुना है, कि जिसने इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी तो मानो उसने आधी रात नमाज़ पढ़ी। (मुस्लिम)

और तिर्मिज़ी की एक रिवायत में हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, जो आदमी इशा की जमाअत में शरीक हुआ तो उसका क़याम आधी रात तक शुमार किया जाएगा और जो आदमी फज्र और इशा में शामिल हुआ तो उसको पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, यदि लोग सुबह व शाम की नमाज़ की फज़ीलत जान लें तो जरूर शरीक हों चाहे खिसक– खिसक कर आएं। (बुख़ारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, मुनाफिको (कपटाचारियो) पर शुबह व शाम की नमाज़ बहुत भारी है। यदि वह इसकी महत्ता (फज़ीलत) जान लें तो ज़रूर जाएं चाहे। खिसक–खिसक कर आएं। (बुख़ारी–मुस्लिम)

पाँच वक्त की नमाज़ों की फज़ीलत–

क़ुर्आनः–

"तमाम नमाज़ों की हिफाज़त करो और खास कर बीच की नमाज़"

तफ्सीर (सूरः बकरः)

"पस यदि वह तौबा कर लें और नमाज़ कायम रखें और जकात दें तो उनका रास्ता छोड दो। सूरः तौबः)

हदीसः–

अफज़ल अमलः–

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि0 कहते हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि कौन से अमल अच्छे हैं? कहा, वक्त पर नमाज़ पढ़ना, मैंने कहा, फिर, फरमाया माँ–बाप के साथ अच्छा व्यवहार। मैंने पूछा फिर, फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

❖❖❖

दीनदारों के लिए काम के मैदान

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

अल्लाह तआला ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना आखिरी नबी बनाया, आप पर अपने बन्दों की हिदायत के लिए अपना कलाम उतारा जिसे हम कुर्आन मजीद के नाम से जानते हैं। नुबूव्वत के एलान के बाद से 23 वर्षो तक आप पर कुर्आने मजीद उतरता रहा और आप लोगों को कुर्आन मजीद पहुंचाते और लिखाते रहे और अल्लाह के अहकाम (आदेश) उम्मत को पहुंचाते रहे और उन अहकाम पर अमल करना कौलन (मुख से बता करके) व अमल करके बताते रहे कुर्आन के अलावा दीन के बारे में जो बातें आपने क़ौलन या अमलन बताई उन सबको सहाब–ए–किराम ने महफूज़ कर लिया जिन्हें हम हदीस कहते हैं। (अल्लाह की रहमत हो अल्लाह के नबी पर)

दीनी कामों में सब से अहम काम दीनी काम करने वालों का यह है कि वह अल्लाह की किताब कुर्आने मजीद को लफज़न व मअ़नन (शब्द तथा अर्थ) को महफूज़ रखें और उसे आने वाली पीढ़ियों में मुन्तक़िल करते रहें। इसी तरह यह काम भी बड़ा अहम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस जिन्हें मुहद्दसीन (हदीस के जानकारों) ने किताबी शक्ल में जमा कर दिया है, उन किताबों की हिफ़ाज़त हो और उनका अर्थ, आने वाली नस्लों में मुन्तक़िल होता रहे।

यह काम भी बड़ा अहम है कि कुर्आन व हदीस से जो अहकाम निकलते हैं जिन को सहाब–ए–किराम के अमल से समझ कर किताबों में महफूज़ कर दिया गया है जिसे हम इस्लामी फ़िक्ह (इस्लामी विधान) के नाम से जानते हैं, उनका इल्म भी आने वाली नस्लों में मुन्तकिल करते रहें। यह तीनों काम बहुत अहम हैं लेकिन इनका इल्म पूरी तरह हासिल करने के लिए एक लम्बा वक्त दरकार है जो हर एक के बस का नहीं है इसी लिए यह हर मुसलमान पर फर्ज़ नही है लेकिन मुसलमानों में एक तादाद ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसे कुर्आन व हदीस और फ़िक्हे इस्लामी का पूरा इल्म हो और यह सिलसिला बराबर चलता रहे।

अल्लाह तआला यह काम दीनी मदारिस से ले रहा है जहां कुर्आने मजीद को ज़बानी याद करने कुर्आने मजीद की तफ़्सीर (कुर्आनिक ज्ञान) अहादीस की अमली तशरीह (व्याख्या) फिक्हे इस्लामी की तालीम का मुकम्मल नज़्म है।

इस तालीम के लिए पहले मादरी ज़बान खास तौर से उर्दू और अरबी ज़बान का अच्छी तरह जानना ज़रूरी है इसलिए पहले उर्दू और अरबी ज़बानों का निसाब पढ़ाया जाता है फिर कुर्आन, हदीस और फिक्ह की तालीम दी जाती है इस तरह इसमें

लम्बा वक्त लगता है।

उर्दू, अरबी ज़बानों की तैयारी के साथ दूसरे दुनियावी ज़रूरत के मज़ामीन पढ़ाए जा सकते हैं और पढ़ाए जाते हैं जैसे हिन्दी, हिसाब, अंग्रेज़ी, साइंस और समाजी उलूम, जुगराफिया, तारीख़, इक़्तिसादियात (अर्थ शास्त्र) वगैरह लेकिन इस के बाद तफ़्सीर, हदीस और फिक्ह का इल्म इतना वसीअ़ (विस्तृत) और दक़ीक़ (सूक्ष्म) है कि उनके साथ इंजीनियरिंग और डाक्टरी की तरह दूसरे मजामीन नहीं पढ़ाए जा सकते, कुछ दानिशवर मशवरा देते हैं कि मदारिस में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे मजामीन भी पढ़ाए जाने चाहिए अस्ल में वह दीनी उलूम के निसाब से वाक़िफ नहीं होते इसलिए ऐसा कहते हैं। मदरसे वाले दुनियावी उलूम के मुख़ालिफ़ नहीं हैं लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम के साथ दूसरी तालीम नहीं हो सकती उसी तरह तफ़्सीर, हदीस और फिक्ह की मुकम्मल तालीम के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो सकती।

रहा यह सवाल की आलिम होने के बाद दुनियावी ऐतिबार से वह समाज में पिछड़ा शुमार होगा अव्वलन तो यह बात सही नहीं है एक अच्छे आलिम को समाज आँखों में जगह देता है, दूसरी बात यह कि जिसको यह महसूस हो कि आलिम होने के बाद इक़्तिसादी हैसियत से मैं पिछड़ जाऊँगा उसको चाहिए कि वह ज़रूरियाते दीन की तालीम हासिल करके अपना रास्ता बदल दे, यह दीन तो अपने पूरे उलूम के साथ महफूज़ रहेगा, अल्लाह तआला ने खुद इसकी हिफ़ाजत का वादा फ़रमाया है अल्लाह तआला ऐसे लोगों को पैदा फ़रमाते रहेंगे जो इस दीन को पूरी तरह हासिल करते और अगली नस्लों में मुन्तकिल करते रहेंगे दुनियावी हैसियत से चाहे वह फ़ाक़ा कश ग़रीब रहे चाहे दौलत की रेल पेल रहे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह दीनी मदरसों की दिल खोल कर मदद करते रहें।

मुसलमान बच्चों और अंजान बड़ों की दीनी तालीम–

दीनी तालीम से यहां हमारी मुराद दीन की वह तालीम है जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जिसे हम ज़रूरियाते दीन का नाम देते हैं। अब सरकारी तौर पर ऐसा इन्तिज़ाम किया गया है कि प्राइमरी तालीम बल्कि हाई स्कूल तक की तालीम हर बच्चा मुफ्त हासिल कर सके, ऐसी सूरत में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को अपने तौर पर ज़रूरियाते दीन की तालीम दें, ऐसे में दीन का काम करने वाले गाँव–गाँव और महल्ले–महल्ले मसाई स्कूल (शाम के स्कूल) चलाते हैं जिनमें क़ुर्आने मजीद नाजिरा और उर्दू या हिन्दी ज़बान के ज़रिए दीनयात की तालीम देते हैं, लेकिन अभी बहुत से महल्ले और गाँव ऐसे हैं जहां इन मसाई मदरसों की ज़रूरत है।

आप ध्यान दें तो शहर और देहात में हमारे बहुत से भाई (जवान और बूढ़े मर्द और औरत) पढ़े और कम पढ़े

शेष पृष्ठ................11 पर

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

मुसलमानों के मक्के में दाखिले से कुरैश की रोक और सुलह–

कुरैश को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तशरीफ़ आवरी और उस जगह क़याम की ख़बर मिली तो उनको इससे सख़्त फ़िक्र व बदगुमानी (दुर्भावना) हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौक़े पर मुनासिब समझा कि अपने असहाबे किराम में से किसी एक को भेज कर उनको इत्मिनान दिला दिया जाये कि मुसलमानों की तरफ से किसी टकराव या जंग का अंदेशा नहीं, चूनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ि0 को बुला कर कुरैश के पास भेजा और फरमाया कि उनसे जा कर कह दो कि हम जंग करने के लिए नहीं बल्कि उमरे के इरादे से यहां आये हैं, उनको इस्लाम की भी दावत देना और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी हिदायत की कि मक्के में जो अहले ईमान मर्द और औरतें मजबूरी से मुक़ीम (निवासी) हैं उनके पास जाकर उनको फतह की बशारत दें और उनको यह खुशखबरी सुनाऐं कि अल्लाह तआला बिलआख़िर मक्के में अपने दीन को ग़ालिब करने वाला है यहां तक की फिर उनको अपने ईमान को पोशीदा रखने की ज़रूरत बाक़ी न रहे[1]।

हजरत उस्मान रज़ि0 रवाना हुए मक्का पहुंच कर वह अबू सुफियान और कुरैश के बड़े ज़िम्मेदारों के पास गऐ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह पैग़ाम उनको पहुंचाया[2]।

बैअते रिज़वान–

हज़रत उस्मान के जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह खबर मिली कि हज़रत उस्मान रज़ि0 शहीद कर दिये गये, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को हक़ के लिए जान दे देने का अहद करने के लिए बैअत की दावत दी, तामम लोग जोश और बेखुदी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चारों तरफ जमा हो गये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर बैअत की कि (अब जो सूरतेहाल पैदा हो गई है उसके मुकाबले में) कोई राहे फरार न इख़्तियार करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक थामा और फ़रमाया यह उस्मान रज़ि0 की तरफ से है[3]। यह बैअत, बैअत रिज़वान कहलाई, यह हुदैबिया में एक बबूल के दरख़्त के नीचे अंजाम पाई। इसको अल्लह तआला ने मुसलमानों के इख़लास व ईमान की मज़बूती की अलामत के तौर पर पसन्द फरमाया और उसका ज़िक्र कुर्आन की निम्न लिखित आयतों में फ़रमाया:–

---

1. तारीख़ अरब क़बलल इस्लाम 4/7
2. तारीख़ अरब क़बलल इस्लाम 4/7
3. तारीख़ अरब क़बलल इस्लाम 4/7

"(ऐ पैग़म्बर) जब मोमिन तुमसे दरख़्त के नीचे बैअत कर रहे थे खुदा उनसे खुश हुआ और जो (सच्चाई व खुलूस) उनके दिलों में था उसने मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाज़िल फरमाई और उन्हें फतह का फायदा इनायत किया जो क़रीब है" (सूरः फ़तह –18)

मुसलमानों का अमन पसंद रवय्या और मुसालहत पर रज़ामंदी–

यह उलझी हुई सूरतेहाल क़ायम थी कि अचानक बुदैल बिन वरका अल ख़ज़ाई के कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचा उसने उनसे मामलात पर बात करना चाही और दरयाफ़्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आमद का मक़सद क्या है?

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि हम लोग किसी से जंग करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ उमरे की नीयत से यहां आए हैं, कुरैश को जंग ने पहले ही चूर चूर कर रखा है, अगर वह चाहें तो मैं कुछ मुद्दत उनसे तय कर लूँ और वह मेरे और लोगों के दरमियान का रास्ता छोड़ दें और अगर वह चाहें तो उसी गिरोह में शामिल हो जाएं जिसमें और लोग शामिल हुए, वरना उन्हें कुछ मुद्दत आराम का मौका तो मिल ही जायेगा, लेकिन अगर जंग के अलावा कोई सूरत उनको कुबूल नहीं तो उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, मैं अपने इस मामले (दीन) के सिलसिले में जंग करूंगा, यहां तक कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए या अल्लाह अपने दीन को ग़ालिब फरमा दे।

जब बुदैल ने वापस जा कर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पैग़ाम पहुंचाया[1] तो उरवा बिन मसऊद सक़फी ने कहा कि उन्होंने बहुत समझदारी की तजवीज़ रखी है मेरी राय यह है कि तुम उसको मान लो और मुझे उनसे मिलने दो, सबने कहा हाँ जाओ बात कर लो, उरवा बिन मसऊद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आकर मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे गुफ़्तगू शुरु फरमाई, उरवा कनखियों से सहाबा कराम को देखते जाते थे, जिनका हाल यह था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थूकते तो कोई न कोई उसको हाथ पर ले लेता और अपने चेहरे और जिस्म पर लगा लेता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कोई हुक्म फरमाते तो हर शख्स तामील के लिए लपकता, वुजू फरमाते तो वुजू के पानी पर जानिसार इस तरह टूटते कि लड़ाई का खतरा होने लगता, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कलाम फरमाते तो सब हमहतनगोश हो जाते, तअज़ीम व अदब की वजह से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नज़रें मिलाने की हिम्मत न करता, उरवा ने जा कर अपने साथियों से कहा ऐ क़ौम! मैं बादशाहों के दरबार में गया हूँ मैंने क़ैसर व किसरा और नजाशी की शानो शौक़त भी देखी है लेकिन खुदा की कसम मैंने नहीं देखा कि किसी बादशाह

1. तारीख अरब क़बलल इस्लाम 4/7

के दरबारी व मुसाहिबीन ऐसा अदब और इस दर्जे तअज़ीम (सम्मान) करते हों जैसा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की करते हैं। उन्होंने जो कुछ वहां देखा उसकी तफसील उनको बताई और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ रखी है तुम लोग उसकी मान लो[1]।

मुआहदा व सुलहनामा-

इस दरमयान में बनी कनाना का एक और शख़्स (जिसका नाम मकरज़ बिन हफ़्स) भी वहां पहुंचा था दोनों ने अपने चश्मदीद वाक़िआत कुरैश के सामने बयान किये। कुरैश ने सुहैल बिन अमर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में रवाना किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको देखते ही बताया कि इनको भेजने से ही मालूम होता हे कि वह सुलह के ख्वाहिशमंद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फरमाया कि मुआहदा (समझौता) की तहरीरी दस्तावेज़ तैयार करो[2]।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआहदे की तहरीर के लिए कातिब, (लिखने वाला जो उस वक्त हज़रत अली करम्मल्लाहू वजहू थे) तलब फरमाया और इरशाद हुआ लिखो "शुरु करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान (बेहद रहम करने वाला) और रहीम (बहुत मेहरबान) है, सुहैल ने कहा कि जहां तक रहमान के लफ़्ज़ का तअल्लुक है बखुदा हम इससे वाकिफ नहीं हैं, पुराने दस्तूर के मुताबिक "बिस्मिकल्लाहुम्मा" लिखो, यानी ऐ अल्लाह! तेरे नाम से शुरु करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि लिख दो "बिस्मिकल्लाहुम्मा" मुसलमान यह देख कर बोल उठे कि नहीं हम तो "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" ही लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद हुआ, नहीं "बिस्मिकल्लाहुम्मा" ही लिख दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि लिखो यह वह है जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआहदा किया, यह सुन कर सुहैल ने कहा कि अगर हमारा इस पर ईमान होता कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं तो हम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बैतुल्लाह से रोकते ही क्यों? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से जंग ही क्यों करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि अच्छा फिर उसकी जगह मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः (हकीकत तो यही है) कि मैं अल्लाह का रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हूँ ख़्वाह तुम झुठलाओ, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही लिख दो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत अली रज़ि0 को जो लिख गया था उसके तब्दील कर देने का हुक्म दिया हज़रत अली ने कहा कि खुदा की कसम मुझसे यह काम नहीं हो सकता, यानी

शेष पृष्ठ...............11 पर

1. तारीख अरब क़बलल इस्लाम 4/7
2. तारीख अरब क़बलल इस्लाम 4/7

हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग़ होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

नोटः— यह लेख हज़रत मौलाना रह0 ने हिन्दू भाइयों में भारतीय मुसलमानों का परिचय कराने के लिए लगभग चालीस वर्ष पूर्व लिखा था इसकी उपयोगिता की दृष्टि से हम अपने हिन्दू भाइयों के लिए सच्चा राही में प्रकाशित कर रहे हैं। इस लेख पर प्रस्तावना हज़रत मौलाना ने स्वयं लिखी थी, पिछले अंक में मुसलमानों के विश्वास का परिचय उसी लेख से ले कर छापा जा चुका है, चाहिए था कि प्रस्तावना पहले छापी जाती, पाठकों से क्षामा चाहते हुए इस अंक में उस विस्तृत प्रस्तावना का संक्षेप प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत में लगभग एक हज़ार वर्ष से हिन्दू—मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। नगरों, उपनगरों तथा ग्रामों में उनकी मिली जुली आबादियां हैं बाज़ारों, मन्डियों, शैक्षिक केन्द्रों, कचेहरियों, आफ़िसों और अब सौ वर्षो से अधिक समय हो रहा है कि राजनैतिक आन्दोलनों, समाजी कामों आदि में एक दूसरे से मिलने जुलने तथा पारस्परिक परिचय के अवसर उपलब्ध हैं फिर भी एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों, कर्मो तथा सभ्यताओं से अपरिचित हैं। इस विषय में एक दूसरे के बारे में जो जानकारियां भी हैं वह अपूर्ण हैं अपितु कुछ कारणों से एक दूसरे के विरुद्ध घृणाजनक जानकारियां उत्पन्न हो गई हैं।

सभ्य समाज में यह मान लिया गया है कि एक साथ रहने वाले एक दूसरे के नियमों से अवगत रहें ताकि रहन सहन में, बात चीत में, बरताव में एक दूसरे का सम्मान बाक़ी रख सकें और सामाजिक जीवन प्रेम तथा शान्ति से व्यतीत कर सकें अतः एक ऐसी पुस्तिका की आवश्यकता है जो मुसलमानों के भूत काल को नहीं वर्तमान स्थिति को दरशायें।

इसके बिना कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए न इसकी चिन्ता हो कि किसी को वह हालत भाती है या नहीं भाती है बस ज़रूरत है कि मुसलमानों के वास्तविक रूप को उनके वतनी भाइयों के सामने परस्तुत कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह हल्की फुल्की पुस्तिका कम पढ़े लिखे लोगों के लिए विशेषकर वतनी भाइयों के लिए लिखी गई है।

मुसलमानों को कैसा होना चाहिए वैसे क्यों नहीं है यह एक अलग विषय है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जाता रहेगा मैंने भी लिखा है परन्तु यहां इस विषय को नहीं छेड़ना है इस पुस्तिका में तो मैंने यह प्रयास किया है कि मुसलमानों की जूँ की तूँ हालत सामने आए ताकि

हमारे वतनी भाई आपसी सम्बन्ध में तथा रहन सहन में उसका लिहाज़ करें। मैंने इस पुस्तिका में केवल यहां के मुसलमानों के बड़े गिरोह अर्थात सुन्नी मुसलमानों का परिचय दिया कहीं–कहीं इस्ना अशरी समुदाय का भी वर्णन आ गया है मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरे किसी वाक्य से किसी समुदाय को कष्ट न पहुंचे मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार कोई हिन्दू शास्त्री भी अपनी संक्षिप्त तथा सरल पुस्तिका में हिन्दू भाइयों का परिचय प्रकाशित करके हिन्दू मुस्लिम प्रेम तथा उनमें एकता स्थापित करने में सहयोग देंगे।

जैसा कि ऊपर आ चुका है कि पिछले अंक में उसी पुस्तिका में मुसलमानों के ६ ाार्मिक विश्वास का उल्लेख आ चुका है, इस अंक में यह प्रस्तावना रहेगी उसके पश्चात इनशाअल्लाह अगले हर अंक में पुस्तिका किस्तवार प्रकाशित की जाएगी।

❖❖❖

दीनदारों के लिए काम ....

या अन पढ़ दीन से बिल्कुल नाबलद हैं, उन से मिलना उनको ज़रूरियाते दीन से वाकिफ़ कराना भी अहम काम है। इस काम को बड़े पैमाने पर तबलीगी जमाअत अंजाम दे रही है। चाहिए कि उनसे मिलकर यह काम किया जाए, अगर उनके साथ मिलकर काम करने में दुशवारी महसूस की जाए तो उन की मुख़ालफ़त न की जाए और अपने तौर पर जमाअत बना कर यह काम औरतों और मर्दों में अंजाम दिया जाए।

इस काम के साथ जो समाज में देवबन्दी, बरेलवी और अहले हदीस का इख़्तिलाफ बरपा है इल्म और हिकमत से उसे दूर करने की भी कोशिश की जाए लेकिन यह काम बड़ी हिकमत चाहता है। एक बड़ा अहम काम गैर मुस्लिमों में इस्लाम का तआरुफ है। कुछ इस्लाम मुखालिफ शख़्सीयतों और तंजीमों ने गलत प्रोपैगन्डे से इस्लाम को बदनाम करने की मुहिम चला रखी है ऐसे में गैर मुस्लिमों खास तौर से हिन्दू भाइयों में इस्लाम का सही तआरुफ़ (शुद्ध परिचय) कराना बहुत ज़रूरी है इस काम से जहां इस्लाम की ख़ूबियों से वाकिफ़ होकर हमारे वतनी भाई इस्लाम की इज़्ज़त करने पर मजबूर होते हैं वहीं कुछ भाई इस्लाम को अपना लेने में नहीं हिचकिचाते दीनी काम करने वालों के लिए बहुत से मैदान हैं उनमें से यह चन्द अहम काम पेश किये गये अल्लाह तआला दीन की खिदमत करने की तोफ़ीक़ से नवाज़े आमीन।

❑❑

जगनायक ....

रसूलुल्लाह का जो लफ़्ज़ लिख गया है उसको अपने हाथ से मिटाऊ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे उसकी जगह दिखाओ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वह जगह दिखाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको खुद मिटा दिया''[1]।

---

1. तारीख अरब क़बलल इस्लाम 4/7

❖❖❖

ईमान वाले की तलाश

—मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0 अनु0— नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

नेमते ईमान की क़द्र न जानी—

अल्लाह ने हमको इस्लाम की जो नेमत और दौलत दी है अफसोस की बात ये है कि उस दौलत व नेमत को हमने जाना नहीं। उसका आदर न करने और आभार न जताने के कारण वह नेमत हमसे खत्म होती और छिनती चली जा रही है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि कहने को तो हम मुसलमान हैं और दुनिया में मरदूम शुमारी के अनुसार हम सबसे अधिक हैं। यदि सही गणना हो जाए तो मुसलमानों से बढ़कर कोई नहीं, और क्योंकि गणना की व्यवस्था भी ईसाइयों के हाथों में है, इसलिए अपनी संख्या अधिक बता देते हैं। जैसे हमारे देश में भी मुसलमानों की संख्या जितनी है उतनी नहीं बताई जाती। लेकिन इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जो लोग देश को जानते हैं वह मानते हैं कि मुसलमानों की संख्या इस देश में बहुत ज़्यादा है बीस करोड़ से तो किसी तरह कम नहीं। तो तादाद के लिहाज़ से हम इतने बढ़ गये हैं कि स्वतंत्रता के समय जो हमारी संख्या थी अब हम उससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। और जिस षंणयंत्र और चालाकी से देश को बांटा गया था और ये समझा गया था कि मुसलामनों को यहां इस कदर पसमान्दा और उनकी संख्या इतनी कम कर दी जाए कि वह यहां रहते हुए सर न उठा सकें। वह बात भी लगभग खत्म हो गई है और अब ये साबित हो चुका है कि मुसलामनों की संख्या अत्यधिक है तथा उनके भी बहुत से लोग जब इस बड़ी संख्या को देखते हैं तो इतनी बड़ी तादाद को मानने पर विवश हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है कि उनको भी मानना पड़ रहा है और इसको नज़रअन्दाज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी संख्या बीस तो है ही अब पच्चीस कहने लगे हैं, वर्ना तीस है और ये आश्चर्य की कोई बात नहीं। यदि हमारी सरकार सही संख्या बता भी दे तो क्या है, हम इस पर खुश हो जाएंगे? नहीं इसलिए कि e ¶ y e ku Quality को छोड़ कर Quantity के चककर में पड़ गए हैं। आजकल राय नहीं देखी जाती। Quantity तो बहुत है लेकिन Quality इतनी कम है कि सोचना पड़ता है कि मुसलमान कहीं है या नहीं, है तो बड़ी अजीब लेकिन सौ फीसद सही है, हम भी चिराग लेकर ढूँढते हैं कि वही मुसलमान मिल जाएं। लेकिन मिलते ही नहीं। अपने को भी देखते हैं तो कामिल (पूर्ण) नहीं पाते तो दूसरों को क्या देखें और किस नज़र से देखें। जहां अकीदा (आस्था) ही दांव पर लग चुका है तो अब आगे की बात जाने दीजिए। इस मुहल्ले में आबादी कितनी है मुसलमानों की। और नमाज़ पढ़ने वाले कितने हैं? व बिना नमाज़ के मुसलमाना कितने हैं? अब नमाज़ पढ़ने वाले

ही जब नहीं हैं तो फिर संख्या कितनी हुई। संख्या तो वास्तव में नमाज़ पढ़ने वालों की है और नमाज़ पढ़ने वालों में भी तादाद उनकी जो मन लगा कर नमाज़ पढ़ने वाले हैं। और दिल लगा कर नमाज़ पढ़ने वाले कितने हैं? वह आप खुद देख लें। अक्सर नमाज़ में अल्लाहु अक्बर कहने के बाद तो दिमाग नमाज़ की तरफ से इधर–उधर भागता रहता है, जब इमाम सलाम फेरता है तो याद आता है कि हम नमाज़ मे हैं। ऐसी नमाज़ से क्या फायदा? और इसकी फिक्र भी नहीं है कि हमारी नमाज़ सही है या नहीं। बहुत हमने फिक्र की तो इतनी कि हम नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं। लेकिन ये फिक्र लगभग नहीं है कि अच्छी नमाज़ वाले बन जाएं। और ये मानव प्रवृत्ति है कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आदमी ठहर जाए। आदमी के भीतर अल्लाह ने ठहराव रखा ही नहीं, आप खुद देख लीजिए। आप जब बीस साल के थे तो कैसे थे, पच्चीस साल के थे तो कैसे थे और अब साठ–सत्तर साल के हैं तो अब कौन हैं? आइना देख लीजिए, तो आपके अन्दर बदलाव होता चला जा रहा है। देखिये! तराजू के दो पलड़े होते हैं, इधर उठेगा तो उधर झुकेगा, इधर झुकेगा तो उधर उठेगा, तो इस्लाम ने बहुत अच्छा बैलेन्स रखा है उसका। यदि कोई उसको बनाए रखे तो क्या कहना, नूरून अला नूर, तो अब ज़ाहिर है कि जब Counting ही हो रही है तो हर चीज़ की Counting की जाएगी। मुसलमानों की संख्या यदि भारी है तो रूहानियत (अध्यात्मिकता) का पलड़ा भी इस समय और बुलन्द हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्योंकि जवानी है अभी, बहरहाल जवानी दीवानी है, मामला इधर–उधर हो जाता है और होता रहता है, उसके बैलेन्स को सही रखने के लिए नमाज़ है। दिल इधर– उधर भगेगा तो नमाज़ वगैरह उसको रोक लेगी। नमाज़–रोज़ा अच्छे अमल हैं, ये चीज़ें उसको रोक लेती हैं। ये पासंग (बटखरा) की तरह हैं जैसे बाट होता है, आप एक ओर सामान रखे हों तो दूसरी तरफ बाट रख दें तो पलड़ा झुक जाएगा अर्थात बुरे कर्म अधिक हो गए हैं तो आप उस पर पासंग रख दें, बराबर हो जाएगा या झुक जाएगा।

अपना जायज़ा लीजिए–

लेकिन जब उम्र चालीस की हो जाए तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या खोया और क्या पाया? ऐसा तो नहीं कि हमारी पूंजियां लुट रही हैं। इस वक्त से रूहानियत का पलड़ा भारी होना शुरु हो जाना चाहिए। क्योंकि अब चालीस के बाद चेहरे बदलने लगेंगे, तो चेहरा बदलता जाए और चरित्र निखरता जाए, ये कम्र है। जितनी सूरत खराब हो जाए अर्थात बुढ़ापे में, लेकिन चरित्र (सीरत) इतनी अच्छी हो कि इसकी झलक बुढ़ापे में चेहरे पर आ जाए तो बुढ़ापे में जवानी का समाँ हो जाए। इसीलिए जो अल्लाह के नेक बन्दे होते हैं, बुढ़ापे में उनके चेहरे को देख लीजिए तो मालूम होता है कि जवान हैं। एक बुजुर्ग ख़्वाजा अज़ीजुलहसन मज्जूब थे और अपने दौर के बड़े

सरकारी ओहदे पर रह चुके थे लेकिन हजरत थानवी रह0 पर फिदा हो गए। जब हजरत थानवी रह0 80 साल के हो गए तो उन्होंने एक शेर कहा, मानो तमाम प्रतिबिम्ब बना दिया कहाः–

"दमकता चेहरा, चमकती आँखें बुढ़ापे में भी जाने जाँ हो रहा है"।

तो बुढ़ापे में भी अल्लाह उनको ऐसा चेहरा देता है कि देखें तो मज़ा आ जाए। हमारे हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0 को जिसने देखा है, पच्चासी साल की उम्र हो गई थी, लेकिन क्या चेहरा था? अल्लाहु अक्बर! एक बार हज़रत मौलाना रह0 से किसी ने पूछा कि हज़रत मिजाज़ कैसा है तो फरमाया कि नीचे का बूढ़ा है ऊपर का जवान। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह से किसी ने पूछा (हमारे सामने की बात है) हजरत! मिजाज़ कैसा है? कहा, नीचे बूढ़ा हो चुका है, ऊपर जवान है! और फिर कहा, नीचे को बूढ़ा ही हो जाना चाहिए, सारी ख़राबी इसी से है, और फिर इसी पर पूरी तकरीर की तो अस्ल बात ये है कि जितने अच्छे अमल करेगा उसका चेहरा उतना ही निखरता जाएगा। देखने में बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन चेहरा खिलता जाएगा। लोग जवान समझकर समझते थे कि ये बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो अब वह बात तो खत्म हो गई, अब तो आमाल (अच्छे–बुरे कर्म) ही आमाल रह गए तो अब आमाल का असर उसके चेहरे पर पड़ेगा। और आदमी बूढ़ा होता चला जा रहा है लेकिन अच्छे आमाल के कारण उसका चेहरा निखरता चला जा रहा है और उसके दिल की हालत बदलती चली जा रही है। यूं समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम है तेज लू चल रही है। यदि आप जंगल की ओर चलें, जंगल अभी दो–चार किलो मीटर दूर होगा, लेकिन ठण्डी हवा आपको दूर से महसूस होने लगेगी और लोग कहने लगते हैं कि जंगल आ रहा है, या बगीचा आ रहा है, जो लोग सफर करते हैं वह जानते हैं। लोहा पिघलाने वाली कम्पनियों से जो गुज़रा है वह तो इस बात को खूब जानते हैं उसकी आंच दूर से ही महसूस की जाती है।

एक बार मेरी ट्रेन गुज़र रही थी और काफी दूर से उसकी आंच आ रही थी। लोहा गलाने की कम्पनी थी। लोहा पिघलाने की जो आग थी वह इतनी तेज़ थी कि वहां तक उसकी आंच महसूस हो रही थी। तो अब जन्नत में जाने वाला इन्सान बन चुका होता है, वह जन्नत की ओर जितना बढ़ता जाएगा सुकून बढ़ता जाएगा, ठण्डी हवा आएगी, इसलिए कि मौत क़रीब आ रही है, जन्नत में दाखिले का समय पास आ रहा है, और यदि अल्लाह न करे मामला उसके उल्टा है तो जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी। हाय! अब क्या होगा जहन्नम की गर्मी आने लगी है। इसलिए जो लोग दुनिया से सम्बन्ध रखते हैं, उनकी हालत ख़राब होती चली जाती है और यदि जन्नत वाला है तो उनपर मस्ती छा जाती है। हमारे शाह याकूब मुजद्दीदी रह0 कहते हैं, कि लोग पूछते हैं कि जब

शेष पृष्ठ................26 पर

साइबर-वे की हानियाँ

–अब्दुल अज़ीम मुअल्लिम नदवी अनु0– मुहम्मद ज़ुबैर नदवी

इन्फारमेशन सुपर हाईवे, साइब वर्ल्ड या साइबर–वे जैसे विभिन्न नामों से पहचाने जाने वाला इन्टरनेट वास्तव में कम्प्यूटरों के मज़बूत और व्यवस्थित जाल का नाम है, प्रायः जब इस पर कोई लेखक कलम उठाता है तो उससे फायदा पहुंचाने और लाभान्वित होने के तरीकों पर बहस करता है,यह वास्तविकता भी है कि इन्टरनेट के आने के बाद से दुनिया के विकास की गति में अविश्वसनीय तीव्रता आई है, कोई भी विभाग कोई भी क्षेत्र और कोई भी संस्था इससे खाली नहीं, विशेष रूप से जानकारियों के पहुंचाने का जो काम इससे लिया जाता है हर कोई इससे लाभान्वित हो रहा है, जहां तक शिक्षा, राजनीति और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इन्टरनेट ने यहां भी आश्चर्यजनक रुचिकर बदलाव किये हैं, अतः कोई क्षेत्र इस चमत्कारी अविष्कार से वंचित नहीं, हर कोई अपने लाभ, प्रसिद्धि और लक्ष्य–प्राप्ति के लिये इसका भरपूर प्रयोग कर रहा है, चित्र का यह पक्ष प्रायः लेखक के सामने होता है,जबकि अगर समीक्षा की जाए तो इसका दूसरा पक्ष भी है जिसकी हानियों और विनाशकारियों से किसी प्रकार इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा समाज तेजी से तबाही की दिशा में बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन नई समस्यायें जन्म ले रही है और खराबियाँ पैदा हो रही हैं।

यदि साइबर–वर्ल्ड की हानियों की समीक्षा की जाए तो इसको दो भागों में बाँटा जा सकता है एक हानि आर्थिक और वित्तीय प्रकार की होती है जब कि दूसरी हानि जो बड़ा भयानक और अधिक प्रभावी होती है वह नैतिक और सामाजिक हानि है।

इन्टरनेट का सबसे अधिक हानिकारक पक्ष वे वेबसाइट्स हैं जिन पर निर्लल्लता और अश्लीलता से परिपूर्ण चित्र और वीडियोज़ अपलोड किये जाते हैं, नई पीढ़ी के लिए इससे बढ़ कर भयानक और कोई चीज़ नही, अश्लील सामग्री देखना न केवल मनुष्य के अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और परिवार व समाज तथा देश व धर्म को अपमान व रुसवाई का पुरस्कार देता है बल्कि यह धीरे–धीरे बलात्कार और विभिन्न अपराधों की राह दिखाता है। अल्लह ने मनुष्य के भीतर जो काम इच्छाओं की भावना रखी है उसके लिए सही रास्ता नहीं अपनाया गया तो फिर उसका बहकना आवश्यक है। पाश्चात्य शिक्षा और माता– पिता की अशुद्ध दीक्षा बच्चों को इस दलदल में फेंक रही है, इस्लाम ने सर्वप्रथम ऐसे साधनों पर ही प्रतिबंध लगा दी जहाँ से निर्लज्जता और अश्लीलता

के आने की संभावना थी, महिलाओं के लिए परदे का प्रबंध और पुरुषों को नज़र नीची करके चलने का आदेश, धाार्मिक (दीनी) शिक्षा और माता पिता की सही दीक्षा से नई पीढ़ी देश व क़ौम के निर्माण में भाग ले सकते हैं, यह इस्लाम का वह विशिष्ट गुण है जिसको अपनाने से समाज हर प्रकार की बुराइयों से पाक–साफ हो सकता है, इस्लाम की इन्हीं शिक्षाओं को सामने रखकर यदि हर देश में ऐसे वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दी जाए तो समाज बहुत सारे अपराधों और हानियों से सुरक्षित रह सकता है।

अश्लीलता व नग्नता से परिपूर्ण इन वेबसाइट्स और वेब कैम से मात्र नैतिक हानि ही नहीं होती बल्कि इससे अनेक अपराध पैदा होते हैं, इन्टरनेट द्वारा आज विभिन्न प्रकार के अपराध उत्पन्न होने लगे हैं और चूंकि इस वैज्ञानिक आविष्कार तक आज के ज़माने में हर किसी की पहुंच है औ बच्चे भी इसका प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए बड़े नैतिक अपराध पैदा होने लगे हैं, इसलिए इसकी ओर ध्यान देना और अपने परिवार के सदस्यों पर नज़र रखना अति आवश्यक है ताकि कोई ऐसा अवसर उनको न मिले जिनसे वे गलत रास्तों पर चल सकें।

नैतिक और सामाजिक अपराधों के अलावा बहुत सारे साइबर काइम है जिसके द्वारा अपराधिक प्रवृत्ति के लोग लोगों को लूटते है,बदनाम करते हैं धमकियाँ देकर जीना हराम कर देते हैं, ब्लैक–मेलिंग करते हैं। जी हाँ! हैकिंग (Haking) के द्वारा अपराधी मनोवृत्ति के लोग व्यवसायिक कंपनियों को या विशेष लोगों को लूटते हैं जैसे किसी व्यक्ति के केडिट कार्ड के विवरण मालूम करके उसमें मौजूद पूरी राशि अपने अकाउंट में टांसफर कर देते हैं, इसी प्रकार बैंक के व्यवसायिक कंपनियों के वेबसाइट्स को भी वेब चेकिंग द्वारा अपने कब्जे में लेकर बड़ी हानि पहुंचाते हैं, वेब हैकिंग के द्वारा ही कभी किसी सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय वेबसाइट को बदनाम किया जाता है, वेबसाइट पर मौजूद मूल सामग्री हटाकर अनुचित व असत्य सामग्री उसमें दाखिल किया जाता है जिससे वेबसाइट्स के मालिकों की छवि धूमिल हो जाती है और बड़े अपमान व बदनामी का सामना करना पड़ता है फिर उस सामग्री को हटाने के लिए अपरधी भारी राशि की मांग करते हैं, कभी दुश्मनी और बदले की भावना से वायरस अटैक कराया जाता है, जिससे उनकी पूरी व्यवस्था तबाह हो जाती है, जबकि देखा यही गया है कि प्रायः वायरस अटेक में एंटीसाफ्टवेयर्स तैयार करने वाली कम्पनियाँ ही इसमें लिप्त होती हैं, अतः साइबर की दुनिया में वायरस अटेक, वैब हैकिंग, स्क्वाटिंग, स्टाकिंग जैसे अपराध आम हो चुके हैं।

यह दोनों पक्ष नैतिक व

सामाजिक और आर्थिक व व्यवसायिक लिहाज़ से बड़े ही खतरनाक हैं, अमरीका जैसे विकसित और सुपर पावर कहलाने वाले देश के विनाशकारी हालात देखने के बाद दिल की आँख रखने वाला हर व्यक्ति इसके लिए चिंतित है सरकारें भी इसकी रोकथाम के लिए प्रस्ताव पारित कर रही हैं, बैंक, व्यवसायिक कम्पनियों और विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा के लिए फायर वाल्स (Fire walls) की व्यवस्था की जा रही है, और बड़े स्तर पर इसका मुकाबला करने के लिए दुनिया भर की विभिन्न संगठन मैदान में कूद चुके हैं, किंतु यह भी वास्तविकता है कि अधिकांश यह सुरक्षात्मक पहल आर्थिक व्यवसायिक और वित्तीय क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं किन्तु नैतिक मूल्यों और सामाजिक नियमों के लिए कोई प्रभावी पहल अभी तक नहीं किया गया और न जिम्मेदार लोग इसके लिए चिंतित नज़र आते हैं।

आवश्यकता है कि इस विषय पर भी संगोष्ठियां कराई जाएं विश्वस्तर से लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया जाए, इन निर्लज्जता वाली कृतियों के विरुद्ध एक जुट हो कर प्रभावी कानून बनाए जाएं, और सख़्ती से इस पर अमल कराया जाए, इससे अधिक इस बात की आवश्कयता है कि स्वयं मनुष्य की अंतरात्मा जाग जाए और वह अपने आप को ऐसी निर्लज्जता और अश्लीलता से दूर रखे, विशेषतः माता–पिता अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति में अंधे न हों बल्कि शरीअत की सीमाओं में रहकर अगर उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे तो यही बच्चे कल देश और क़ौम के लिए पूंजी सिद्ध हो सकते हैं।

हर मुसलमान को शतप्रतिशत विश्वास है कि शरीअत का हर क़ानून मानवी हितों को सामने रखकर बनाया गया है और शरीअत पर चलने वाले ही सही मायने में सच्चे देश प्रेमी और समाज का सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अतः जब हमारा इस पर ईमान है तो इसको अपनाने की भरपूर प्रयास करना चाहिए और कुर्आन के इस आदेश पर सख़्ती से अमल करना चाहिए कि "बलात्कार के निकट भी न जाओ क्यों कि यह समाज को बर्बाद करने वाली घृणित कृत है और मानव कल्याण को राह से हट कर दुनिया को नरक बनाने वाला रास्ता है"।

यदि कुर्आन के इस स्पष्ट निर्देश पर केवल मुसलमान अमल करने लगें तो पूरी दुनिया इनका अनुकरण करते हुए इस्लाम को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने के लिए तैयार हो जाएगी और बलात्कार, नारी अपमान, आत्म हत्या, लड़कियों का अपहरण और नई पीढ़ी का मांसिक व शारीरिक विनाश जैसी समस्याओं से दुनिया को नजात मिल जाएगी।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः कोई मुसलमान औरत प्रधान बन सकती है या नही? इसी तरह विधायक, संसद सदस्य, मुख्य मंत्री, राष्ट्रपति आदि बन सकती है या नहीं?

उत्तरः किसी मुसलमान औरत का प्रधान बनना, मिम्बरे असम्बली बनना या मिम्बर पारलीमेन्ट वगैरह बनना जाइज़ है अलबत्ता शरई अहकाम की पाबन्दी करना लाज़िम होगा।

प्रश्नः मैं सऊदिया में नौकरी करता हूँ, मैंने अपनी बीवी का वीज़ा हासिल किया, टिकट वगैरह ख़रीद कर भेज दिया, मैं वतन आ नहीं सकता था? कुछ क़ानूनी और माली दुशवारियाँ थी, मेरी बीवी के भाई ने मेरी बीवी को लखनऊ एयरपोर्ट पर जहाज़ में सवार कर दिया, रियाज़ पहुंचने पर मैं अपनी बीवी को अपने साथ क़ियाम गाह ले आया, महरम के साथ के बगैर इस सफर का क्या हुक्म है और मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तरः महरम के बिना औरत के सफर से बड़ा गुनाह हुआ, जिसमें आप दोनों शरीक हुए लिहाज़ा दोनों सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह से मुआफी माँगें और आइन्दा महरम के बिना औरत को सफर न कराने का अ़हद करें, आपकी बीवी भी अहद करे कि आइन्दा महरम के बिना सफर न करेगी।

प्रश्नः एक औरत अपने भाई के बेटे के साथ सफ़र कर रही है, क्या उसके साथ उस औरत की जवान बेटी भी सफर कर सकती है या नहीं?

उत्तरः औरत के लिए भाई का बेटा (भतीजा) महरम है उसके साथ सफर कर सकती है लेकिन औरत की लड़की उस औरत के भतीजे के लिए महरम नहीं है, इसलिए वह जवान लड़की अपनी मां के साथ (माँ के भाई के लड़के के साथ) यानी माँ के भतीजे के साथ सफर नहीं कर सकती इमामे अबू हनीफा, और इमाम अहमद का यही मसलक है इमामे शाफई, और इमामे मालिक के यहां गुंजाइश है। यह जब है कि सफर अगर मसाफते सफर के बक़द्र हो तो, मगर उससे कम का हो तो भी फित्ने के अन्देशे के साथ ना महरम के साथ सफ़र नजाइज होगा।

प्रश्नः एक औरत अपने शौहर के साथ हज को जा रही है क्या उस औरत के साथ उस की बहन हज के सफर पर जा सकती है? जब की उसकी बहन का कोई महरम उसके साथ न होगा।

उत्तरः कोई औरत अपनी बहन बहनोई के साथ सफरे हज पर नहीं जा सकती क्योंकि यह नाजाइज है। महरम न हो तो हज वाजिब नहीं है सऊदी हुकूमत इमाम अबू हनीफ़ा और इमामे अहमद बिन हंबल के मसलक पर अमल करते हुए हज फार्म में महरम लिखवाती है इसलिए ऐसा करने में झूट का गुनाह भी

करना पड़ेगा ताहम हज अदा हो जाएगा।

प्रश्नः क्या कोई औरत किसी कमरे में किसी ना महरम मर्द के साथ इस हाल में बैठ सकती है और उससे गुफ़्तगू कर सकती है कि कोई और न हो?

उत्तरः यह अमल नाजाइज होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर सख़्त वईद फ़रमाई है, हदीस में है "शौहर और महरम के सिवा औरत से तन्हाई में मुलाकात नाज़ाइज़ है"।

प्रश्नः मियां बीवी हज के लिए निकले, हज कमेटी ने उनको मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया, अल्लाह की मरज़ी शौहर का इन्तिक़ाल हो गया, हुकूमते इन्तिज़ामिया में उन का कफन दफन हुआ, बीवी का कोई महरम वहां न रहा, मगर उसने अपने इलाक़े वालों के साथ मक्के का सफर करके हज पूरा किया और घर लौट कर इद्दत के बाकी दिन घर में पूरे किये शरअ़न उसका यह अमल कैसा रहा? और उसको क्या करना चाहिए था?

उत्तरः सफरे हज के दौरान शौहर का इन्तिक़ाल हो जाए या तलाके बाइन हो जाए और औरत का कोई महरम साथ में न हो तो सात सूरतें हैं जिन में पांच में बिला महरम हालते इद्दत में अरकाने हज या अरकाने उमरा अदा करने की इजाज़त है, एक में इजाजत नहीं एक में इख़्तिलाफ़ है, आपने जो सवाल किया है वह उन अकसा में पांचवीं है जवाज़ की है यानी औरत के लिए (सूरते मसऊला में) बिना महरम अरकाने हज अदा करने की इजाज़त है, वापस हो कर बकीया इद्दत घर में गुज़ार सकती है। इसलिए सूरते मसऊला में शरअ़न उसका अमल दुरुस्त रहा।

प्रश्नः आज कल आम तौर पर शादियों में गाने बजाने और फोटू खींचने वगैरह का रवाज़ हो गया है। इस तरह की शादियों में शिरकत करना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तरः मुसलमानों की दावत खास तौर से वलीमे की दावत का हुक्म यह है कि अगर वहां गुनाह की बातें नहीं हैं तो दावत क़बूल करना वाजिब है, लेकिन अगर वहां नाच गाना और बाजा जैसे गुनाह हों तो ऐसी दावत का क़बूल करना दुरुस्त नहीं है।

प्रश्नः आज कल देखा जा रहा है कि बैंक में मिली सूदी रक़म लोग गरीब लड़कियों की शादी में दे देते हैं अगर किसी ग़रीब लड़की की शादी हो रही हो और उसमें सूदी रक़म इस्तेमाल हो रही हो और उसमें शिरकत की दावत मिले तो शिरकत करना चाहिए या नहीं?

उत्तरः बेहतर तो यही है कि सूदी रकम से जो शादी हो और उसमें दावत हो तो यह दावत ना खाई जाए लेकिन अगर वहां जाना पड़े तो इस किस्म की दावत खाने की गुंजाइश है क्योंकि फुक़हा लिखते हैं कि सूद की रक़म सदका कर देना वाजिब है, अगर यह रकम मुस्तहिक शख़्स को दी गई तो उसके हक में यह सदका क़रार पाएगी और सदके का हुक्म यह है कि वास्ता आ जाने से माल का हुक्म बदल जाता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बार अपनी ख़ादिमा हजरत बरेरा के यहां तशरीफ ले गये वह

गोश्त पका रही थीं उन्होंने आप के सामने खाना पेश किया लेकिन उसमें गोश्त नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वजह दरयाफ्त की उन्होंने अर्ज किया कि यह गोश्त सदके का है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सदका है लेकिन जब तुम मुझे खिलाओगी मेरे लिए यह हदीया होगा। बुखारी में यह रिवायत मौजूद है इमामे बुखारी ने "इज़ा तहव्वलत" सदका के उनवान से इस मसअले को बयान किया है। इस रिवायत के पेशे नजर अगर किसी ग़रीब और मुस्तहिक शख़्स को सूद की रकम सदक़ा की जाए और वह उससे दावत का एहतिमाम करे और दूसरों को खिलाए तो इसकी गुंजाइश है।

प्रश्नः जिन लोगों का कारोबार सूदी है अगर वह दावत करें तो उनकी दावत में शिरकत करना चाहिए या नहीं?

उत्तरः कुर्आने मजीद में सूद क़ी हुरमत वाज़ेह तौर पर बयान की गई है और हदीस में उस की बड़ी शनाअत (बुराई) आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूद लेने वाले, सूद देने वाले, और सूदी मुआमले में गवाह बनने वाले सब पर लानत भेजी है, (मुस्लिम-74092)।

इस रिवायत से मालूम हुआ कि सूद खोर की हौसला अफ्ज़ाई दुरुस्त नहीं इसलिए उलमा और दीन के पेशवा को एसे लोगों की दावत में शिरकत नहीं करना चाहिए ताकि सूद खोर की हौसला शिकनी हो। अलबत्ता आम मुसलमानों के लिए हुक्म यह है कि अगर मालूम हो कि दावत सूदी पैसे से की जा रही है तब तो दावत में शिरकत जाइज़ नहीं है लेकिन अगर मालूम हो कि दावत हलाल पैसे से हो रही है तो दावत में शिरकत जाइज़ है और अगर मुतअय्यन तौर पर इल्म न हो तो देखा जाएगा कि उसकी आमदनी का गालिब ज़रीया क्या है? आगर ग़ालिब हिस्सा हराम है तो दावत में शिरकत दुरुस्त नहीं और अगर ग़ालिब हिस्सा हलाल है तो दावत में शिरकत जाइज़ है।

(फतावा हिन्दिया 347/5)

प्रश्नः अगर गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से दावत हो तो उसकी दावत कबूल करना और उसमें शिरकत करना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तरः इस्लामी तालीमात में यह तालीम भी है कि गैर मुस्लिमों से भी इन्सानी भाई चारा का रिश्ता हो इसलिए उनकी दावत कबूल करना और उनकी दावतों में शिकत करना बुनियादी तौर पर दुरुस्त है, शर्त यह हे कि खाने में कोई हराम या मुश्तबह चीज़ न हो और वहां नाच गाना, बाजा वगैरह नाजाइज़ बातें न हों। (फ़तावा तातार सानिया 523/5)। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक यहूदी की दावत क़बूल फरमाई थी।

(सहीह बुखारी 887)

प्रश्नः गैर मुस्लिमों से मुसलमानों के कभी कारो बारी और कभी सियासी तअल्लुकात रहते हैं, इस किस्म की मसलहतों (हितों) के पेशे नज़र अगर उनके शादी विवाह और दूसरे प्रोग्रामों में दावत दीजाए तो शरअन उसकी इजाज़त है या नहीं?

शेष पृष्ठ................30 पर

सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी

—मतीन तारिक़ बाग़पती

सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में सारे यूरोप के ईसाइयों ने मिलकर क्रुसेड का प्रण किया था, ताकि मध्य–पूर्व से इस्लाम का अंत कर दिया जाए। हज़ारों–हज़ारों प्रेरणाएं दिलायी गयीं। एक बड़ी संपत्ति उपलब्ध करायी गयी। बड़े–बड़े बादशाह अपनी पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरे, मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गये। उनके इन अत्याचारों के दिल दहलाने वाली सच्ची घटनाओं से स्वयं यूरोप का इतिहास भरा पड़ा है। इतिहासकारों का कहना है "अपने उन्नतिकाल में ईसाइयों ने मुसलमानों का इतना खून बहाया था कि मस्जिदे अक़सा में घूटने–घुटने ख़ून बह रहा था। ये अत्याचार यरुशलम में 22 शाबान, 491 हि0 (अनुसार 19 जूलाई, सन् 1094 ई0) को ढाये गये। सारे क़ैदी क़त्ल कर दिये गये। जो मुसलमान नज़र आया उसे कोठों और बुर्जों से सुरंगों में फेंका गया। ज़िन्दा जला दिया गया। केवल शहर में 70 हज़ार मुसलमान क़त्ल किये गये।" (तारीखुल–खुलफ़ा)

मुस्लिम इतिहासकार ही नहीं स्वयं ईसाई इतिहासकार भी इस क़त्लेआम की पुष्टि कर चुके हैं। अतः इस विजय के अवसर पर यरुशलम विजेता रेमंड और गाऊफ़री ने सन 492 हि0 में इस विजय के संबंध में लिखा था "अगर आप यह मालूम करना चाहते हैं कि हमने उन दुश्मनों (मुसलमानों) के साथ जिनको हमने यरुशलम में पाया–क्या सुलूक किया, तो सिर्फ़ आप इसका अंदाज़ा और सही अंदाज़ा इससे लगाएं कि रिवाक़े सुलेमान और कलीसा–ए–आज़म में हमारे घोड़े घुटनों तक मुसलमानों के नजिस (अपवित्र) ख़ून में चलते रहे"।

(तारीख़े क्रुसेड, ले0 मचाड, भाग–3, पृ0 362)

लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने सत्ताकाल में इसके विपरीत ईसाइयों के साथ स्नेह का व्यवहार किया और एलान किया कि चालीस दिन के अन्दर जो ईसाई सुल्तानी फ़ौज की निगरानी में तराब्लस या किसी और जगह जाना चाहे, चला जाए। क़ैदियों को भी मामूली जुर्माना लेकर रिहा कर दिया। स्वयं सुल्तान ने 10 हज़ार क़ैदियों का जुर्माना अदा किया, इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कुछ बूढ़े ईसाइयों को अपना सामान अपने सरों पर ले जाते देखा, तो दिल भर आया। अतः उनको अपने पास से रूपया और ख़च्चर प्रदान किये।

(सीरत सलाहुद्दीन)

इन्हीं सलीबी जंगों का वर्णन है कि एक बार एक सिपाही अंग्रेज़ फ़ौज से एक दूध–पीता बच्चा उठा लाया। उसकी मां बेचैन हो गयी और अपने सरदार के पास जा कर विलाप करने लगी।

सरदार ने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन एक सच्चा और रहमदिल मुसलमान है, उसके पास जाकर विन्ती करो। वह विलाप करती हुई आयी और अपने ग़म की कहानी सुल्तान सलाहुद्दीन को सुनायी। सुल्तान सलाहुद्दीन उसकी फ़रियाद सुनता रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। वह अपनी कहानी ख़त्म कर चुकी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन गुस्से से कांप रहा था। खुद उठा और तलाश करा कर बच्चा औरत के सुपुर्द किया और इस बात की परवाह नहीं की कि अगर यह बच्चा मुसलमानों में पले–बढ़ेगा तो भविष्य में मुसलमान हो जाएगा।

यह घटना धार्मिक सहिष्णुता की एक सर्वोत्तम मिसाल है। इस्लामी धर्मशास्त्रियों का मत इस पर समान है कि अगर दो व्यक्तियों को जिनमें एक मुसलमान भी है और दूसरा ग़ैर मुस्लिम, एक बच्चा कहीं लावारिस पड़ा मिल गया हो और उसके बारे में मुसलमान ने दावा किया कि मेरा गुलाम है और ग़ैर–मुस्लिम ने कहा कि मेरा बेटा है तो इस सूरत में फ़ैसला ग़ैर–मुस्लिम के हक़ में होगा, और बच्चा उसको दे दिया जाएगा। इस्लाम के धर्मशास्त्रियों का यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम को इन्सानियत नवाज़ी स्वतंत्रता इस कद्र प्रिय है कि इसके तुलना में उसने मुसलमान के हक़ को भी स्वीकार नहीं किया और वह दूसरे धर्म वालों को अत्यंत खुले दिल से यह हक़ देता है कि वे अपने धर्म के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारें।

सुल्तान मुराद द्वितीय के मुक़ाबिले में जब ईसाई सेना होनियाद के नेतृत्व में जो कैथोलिक था क़ौमूह के मैदान में पंक्तिबद्ध थी, उस समय होनियाद के साथी सुल्तान सर्बिया ने पूछा कि अगर तुमको विजय प्राप्त हो गयी तो क्या करोगे? उसने कहा कि सबको कैथोलिक बनाकर छोड़ूँगा।

लेकिन जब यह सवाल सुल्तान सर्बिया ने सुल्तान मुराद के पास भेजा तो उसने जवाब में लिखा कि मैं अगर सफल हो गया तो हर मस्जिद के बग़ल में एक–एक गिरजाघर बनाने की इजाज़त दे दूंगा, ताकि जिसका जी चाहे मस्जिद में आये, जिसका जी चाहे गिरजा में जाए। इसका असर यह हुआ कि शाह सर्बिया ने होनियाद का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से सलीबियों की हार हुई। (ख़ुदा की बादशाहत, गुलाम परवेज़)

इन वृत्तांतों से इस्लाम की प्रदान की हुई धार्मिक स्वंत्रता और मुसलमान शासकों की अत्यंत विशाल हृदयता तथा दूसरे धर्म वालों के साथ उनकी उदारता का साफ़–साफ़ पता चलता है कि अपने सत्ताकाल में उन्होंने न गिरजों को तोड़ा, न पुजारियों को सताया, न धार्मिक मामलों में उनके साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की। इसके और अधिक प्रमाण के लिए हम यहां कुछ ऐसे पत्रों की नक़लें प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यद्यपि निजी थे, लेकिन अब प्रेस में आ चुके हैं, इन पत्रों के अध्ययन से बहुत से तथ्य सामने आते हैं। ईसाई पेशवा बतरीक़ अलयसूब (तृतीय) दीव उर्दशेर (फ़ारस) के सामीन के नाम पत्र में लिखता है–

"यह तय, या अरब, जिनको खुदा ने इस ज़मीन की हुकूमत प्रदान की है, आपको ज्ञात ही है कि अब हमारे पास रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी हमारे धर्म पर हमला नहीं किया, बल्कि सदैव हमारे धर्म का आदर करते हैं, हमारे पादरियों और खुदा के मसीह के औलिया का सम्मान करते हैं और गिरजाघरों और मठों पर उनकी ओर से अनुकम्पा और कल्याण का व्यवहार किया जाता है" । **(Eclipse of Christianity Assenani-III, pt II,** ज़माना लगभग सन् 660–664 ई0)

इसी तरह नज़बन के मैट्रोपोलीटन इलियास ने सन् 1008 ई0 में लिखा है "मुसलमानों के बारे में हमारी आस्था है कि उनका आज्ञापालन और प्रेम अन्य धर्मों के लोगों के आज्ञापालन से ज़्यादा हमको लाभांवित करता है। चाहे हम उनकी प्रजा हों या न हों और चाहे वह हम से कैसा ही सुलूक क्यों न करें और यह इसलिए कि मुसलमान इसे अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं कि हमारी रक्षा करें और हम से सद्व्यवहार करें और उनकी आस्था है कि उनमें से जो कोई अन्य धर्म वाले को सताएगा तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कियामत के दिन उस मुसलमान से जिरह करेंगे।"

यह एक यथार्थ तथ्य है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़िम्मियों (ग़ैर–मुस्लिमों) के बारे में फ़रमाया है कि–

"ख़बरदार! जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिससे संधि हो चुकी हो, अतयाचार करेगा या उसके अधिकारों में कमी करेगा, या उसकी शक्ति से ज़्यादा उस पर बोझ डालेगा, या उससे कोई चीज़ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध वुसूल करेगा उसके विरुद्ध क़ियामत के दिन मैं स्वयं मुस्तग़ीस (अभियोक्ता) बनूंगा।"

(अबू दाऊद, किताबुल जिहाद)

अर्थात संधि करने वाले ग़ैर–मुस्लिमों के सथ सुलहनामा में जो शर्तें तय हो जाएं उनमें किसी प्रकार की कमी या ज़्यादती करना उदाहरणार्थ, उन पर टैक्स बढ़ाना, ज़मीन पर क़ब्ज़ा करना, उनकी इमारतों को छीनना, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना या उनकी इज़्ज़त और आबरू पर हाथ डालना किसी तरह वैध नहीं है। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो इस्लामी क़ानून उसकी पकड़ करेगा ही, क़ियामत के दिन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करेंगे।

यही कारण था कि मुसलमान शासक हमेशा अल्पसंख्यकों (यानी मुस्लिम राष्ट्र में ग़ैर–मुस्लिमों) के अधिकारों की रक्षा करते रहे। इसी सुन्दर व्यवहार को देख कर रोमी महान राष्ट्र के पतन इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन लिखता है कि–

"पूर्वी ईसाई सिर्फ़ इसलिए मुसलमानों की हुकूमत में रहना पसन्द करते थे कि वहां उन्हें संपूर्ण धार्मिक आज़ादी प्राप्त थी और इसके विपरीत पश्चिम के ईसाई शासक उन्हें या तो रोमन कैथोलिक बन जाने पर मजबूर

शेष पृष्ठ................26 पर

अल्लाह पर भरोसा

—मौलाना सैयद हामिद अली

अल्लाह सम्पूर्ण जगत का स्वामी और शासक है।यहां जो कुछ भी होता है, वह उसकी ही आज्ञा और इच्छा से होता है। वही प्रत्येक प्राणी को पैदा करता और मौत देता है। वही हर चीज़ को पालता और और ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़िन्दगी, मौत, लाभ, हानि, रोग, स्वास्थ्य, सम्मान, अपमान, दौलत, शासन, औलाद, जीविका, भाग्य, तात्पर्य यह कि दुनिया और आखिरत की हर चीज़ उसके और सिर्फ उसके हाथ में है। वही इस योग्य है कि हम उसकी ओर पलटें , उस पर भरोसा करें, उसे प्रसन्न करें, उसकी अवज्ञा से बचें, उसकी अप्रसन्नता और प्रकोप से डरें, क्योंकि किसी दूसरे के पास कोई शक्ति है ही नहीं, जिससे कोई भय हो या जिस पर भरोसा किया जा सके।पवित्र कुर्आन मजीद में है—'जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं।'

एक दूसरे स्थान पर है—"वही जीवन प्रदान करता है और वही मौत देता है।"

(कुर्आन, 23:80)

एक और जगह अल्लाह कुर्आन में फरमाता है—'कहो, ऐ अल्लाह! राज्य सत्ता के स्वामी तू जिसे चाहता है राज्य प्रदान करता है और जिससे चाहता है राज्य छीन लेता है। जिसे चाहता है सम्मान प्रदान करता है और जिसे चाहता है अपमानित कर देता है। तेरे ही हाथ में भलाई है। निस्संदेह तू हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है।'

(कुर्आन, 3:26)

अल्लाह को मानना यह अपेक्षा करता है कि ईमान वाला व्यक्ति अल्लाह से डरे, उसके अतिरिक्त किसी से न डरे—'तो तुम उनसे न डरो, मुझ से डरो, अगर तुम (सच्चे) ईमान वाले हो।' (कुर्आन, 3:175)

इन्सानों को चाहिए कि वह अल्लाह पर और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें—'ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।'

(कुर्आन, 3:122)

मोमिन बन्दा अल्लाह के सिवाकिसी से नहीं डरता और अल्लह से हर समय डरता रहता है। वह अल्लह ही के भरोसे पर पहरेज़गारी की ज़िन्दगी गुज़ारता है, यहां तक कि इसी हालत में उसे मौत आ जाती है—'ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और उसकी अवज्ञा से बचो जैसा कि उससे डरने और उसकी अवज्ञा से बचने का हक़ है और मौत आये तो इस हालत में कि तुम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हो।' (कुर्आन, 3:102)

जो लोग अल्लाह से डर कर, उसकी अवज्ञा से बचते हुए ज़िन्दगी गुज़ारते हैं और उस पर भरोसा करते हुए उसकी राह पर चलते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए रास्ते खोलता है और उनकी कठिनाइयों को एक—एक करके दूर कर देता है। कुर्आन मजीद में है—

'जो कोई अल्लाह की अवज्ञा से बचेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा और उसे उस जगह से जीविका देगा, जहां से कि उसे गुमान भी न होगा और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने इरादे को पूरा करके रहता है, उसने हर चीज़ का अन्दाज़ा ठहरा रखा है।' (कुर्आन, 65:2,3)

हज़रत अबूज़र (रज़ि0) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बार फरमाया, मैं कुर्आन की एक आयत को जानता हूं जिसे अगर लोग अपनी ज़िन्दगी में अपना लें तो वह उसके लिए बिल्कुल काफ़ी हो जाए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उक्त आयत पढ़ी। (अहमद, इब्ने माजा, दारिमी)

अल्लाह हमारा पूज्य है और हम सब उसके उपासक और बन्दे हैं। ये हैं वे संबंध जो हमारे और हमारे अल्लाह के बीच पाये जाते हैं। ये संबंध यह अपेक्षा करते हैं कि हम उसके कृतज्ञ हों, उसके आगे झुकें, उसकी प्रसन्नता के लिए जिएं और मरें और जीवन भर उसके आज्ञाकारी बन कर रहें। कुर्आन मजीद का आरंभ इन शब्दों से होता है–

'सब प्रशंसा अल्लह के लिए है, जो सारे संसार का रब है। अत्यंत कृपाशील और दयावान है। उस दिन का मालिक है जिस दिन बदला दिया जाएगा, (ऐ अल्लाह!) हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं।" (कुर्आन, 1:1–4)

यह मानव–प्रकृति की आवाज़ है, जिसे उस प्रकृति के रचनाकार ने इन शब्दों में बांधा है। हम नमाज़ की प्रत्येक रक्अत में इस आवाज़ को सुनते हैं। अल्लाह के कृतज्ञ होते और उसकी बन्दगी तथा आज्ञापालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उससे सहायता चाहते हैं। अल्लाह उन बन्दों को अपना सच्चा बन्दा समझता है और उन पर बहुत ज़्यादा दया करता है जो उसकी खुशी को अपना अन्तिम लक्ष्य बनाते हैं और इस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी सारी योग्यताओं और शक्तियों को और अपने समस्त साधनों को अल्लाह के हाथ में दे देते हैं। अर्थात् उनके जीवन में जो कुछ उनके पास होता है उसमें उनकी अपनी इच्छा नहीं, बल्कि अल्लाह की इच्छा और उसका आदेश चलता है। सूरह तौबा में है– "निस्संदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में ख़रीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है।"

(कुर्आन, 9:111)

अल्लाह की प्रसन्नता और जन्नत एक ही हक़ीक़त के दो पहलू हैं। जन्नत उस स्थान, उस लोक और उस हालत को कहते हैं जहां और जब अल्लाह अपने बन्दों से सदैव के लिए प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न होकर अपार, अक्षय और कल्पना शक्ति से बाहर के प्रसाद और सामीप्य प्रदान करेगा और वह अवसर लाएगा कि हमें उसके दर्शन मिल सकें।

. सूरह तौबा की उक्त आयत से यह स्पष्ट हुआ कि अल्लाह और मोमिन बन्दे के बीच एक वास्तविक मामला कय–विकय का भी होता है। बन्दा जब ईमान लाकर 'ला इला–ह इल्लल्लाह' कहता है और खुद को अल्लाह की बन्दगी में दे देता है, तो वह वास्तव में अपने जीवन को, अपनी योग्यताओं और शक्तियों को और अपनी सारी पूंजी को अल्लाह के हाथ बेच देता है।अब अगर बन्दा कय–विकय के इस मामले पर क़ायम रहता है और अपने आपको वास्तविक रूप में अल्लाह की प्रसन्नता में खो देता है और अल्लाह के आदेशों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करता है तो अल्लाह उसकी जीवन रूपी संपदा को स्वीकार कर लेता है और उसके मूल्य के रूप में जन्नत की अपार और सदैव रहने वाली नेमतें प्रदान करता है और अपने बन्दे से सदैव के लिए प्रसन्न हो जाता है। अल्लाह ने इस हक़ीक़त को इन शब्दों में बयान किया है–'(ऐ नबी!) कहो, मेरी नमाज़, मेरी कुरबानी, मेरा जीवन, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी का आदेश मिला है और सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला मैं हूं।' (कुर्आन, 6:162)

❖❖❖

ईमान वाले की तलाश ....

मरने का समय आता है तो जन्नती भी तड़पते हैं, क्यों? हज़रत ने कहा, देखो। इसकी मिसाल मैं बतलाता हूँ, जो अल्लाह के नेक बन्दे होते हैं, वह क्यों और कैसे तड़पते हैं? कहने लगे कि एक पिंजरा है, जिसमें आपने तोता पाल रखा है, बन्द है ऊपर से जब तोते उड़ते हैं तो वह भी कें–कें करके भागता है, बेचैन होकर कि कहीं रास्ता मिल जाए और वह भागे। कहने लगे कि ऐसे ही जन्नती आदमी की रूह बेचैन हो जाती है। मोमिन की रूह जब फरिश्ते को देखती है तो वह तड़पती है कि जल्दी से निकल कर वहां मिल जाए। तो उसका तड़पना दूसरे ढंग का होता है। देखने में तो तड़प रहा है, लेकिन उसका मामला ये होता है कि वह ऊपर देखकर तड़पता है, मस्त हो जाता है। ❑❑

सुल्तान सलाहुद्दीन...............

करते थे या फिर उन्हें धरती से मिटा देते थे।''

(Fall of the Roman Empire)

इन बयानों और पत्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मुसलमानों ने ग़ैर–मुस्लिम प्रजा के साथ धर्म के आधार पर कभी भेदभाव का बर्ताव नहीं किया।

''कह दो! आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या पाबंदियां लगायी हैं। यह कि किसी चीज़ को उसका साझीदार न ठहराओ और मां–बाप के साथ सद्व्यवहार करो और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी, और अश्लील बातों के निकट न जाओ चाहे वे खुली हों या छिपी हुई हों और किसी जीव की, जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो।'' (कुर्आन 6:151)

❖❖❖

इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

ब्याज (INTREST) निषेध क्यों?

प्रश्न: इस्लाम ब्याज को अवैध ठहरा कर मुसलमानों के विकास में रोड़ा क्यों बनता है?

उत्तर: वास्तव में ब्याज लोभ—लोलुपता और अत्याचारों का संग्रह है, धन का लोभी ब्याज के माध्यम से चाहता है कि जगत का समस्त धन सिमट कर उसकी झोली में आ गिरे। कंजूस इतना कि किसी ग़रीब कर्जदार के साथ कोई रियायत नहीं करना चाहता और न किसी पुण्य कार्य में कुछ देकर कुछ कमी करना पसन्द करता है।

पवित्र कुर्आन में सूदखोरों पर जम कर लानत भेजी गई और उसका ठिकाना जहन्नम बताया गया है।

पवित्र कुर्आन कहता है:—

"जो लोग ब्याज खाते हैं, वह खड़े न हो सकेंगे किन्तु इस प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति खड़ा हो और उसने अपने हवास खो बैठे हों शैतान से लिपट कर, इसका कारण ये है कि उन्होंने कहा था कि सूद तो सौदागरी की तरह है, हालांकि अल्लाह ने सौदागरी को जायज़ किया है और सूद को हराम किया है, और जिस व्यक्ति के पास नसीहत पहुंच चुकी उसके रब की ओर से, फिर वह रुक गया तो उसी का है जो ले चुका और उसका मामला अल्लाह के हवाले है और जिसने फिर ब्याज लिया तो वही लोग दोजख़ी हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह ब्याज को घटाता है और दान को बढ़ाता है, और अल्लाह हर गुनहगार काफ़िर से नाखुश है"।

(सूर: वक़र: 275—276)

जिस प्रकार क़ियामत के दिन सूदख़ोरों का बदहवास होना वर्णित है, उसी प्रकार वह दुनिया में भी बदहवास रहते हैं। अर्थात दुनिया में सूदखोरों का हाल ये होता है कि वह दिन—रात दूसरों के धन—दौलन पर हाथ साफ करने और अपनी सम्पत्ति को अवैध ढंग से बढ़ाने में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि उन्हें न किसी पुण्य कार्य की इच्छा होती है और न अल्लाह का भय।

सत्य तो यह है कि ब्याज एक सामाजिक अभिशाप है जिसे तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता है। सरकार गरीबों को कम ब्याज दर पर क़र्ज़ देकर अपना सीना चौड़ा करती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वही क़र्ज़ आमतौर पर ग़रीबों की ग़रीबी दूर करने के बजाये उन्हें आत्महत्या पर विवश कर रहा है। बुंदेलखण्ड और विदर्भ के ग़रीब किसानों पर सरकार ने सहायता के नाम पर ब्याज सहित कर्ज से इतना लाद दिया है कि वह उसे चुकाने के बजाये मौत को गले लगाने पर विवश हैं।

शेष पृष्ठ............... 34 पर

शराब कल्चर को प्रोत्साहित कर अपराध को बढ़ावा देती सरकार

—संपादन प्रभाग

दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 ई0 को हुए दामिनी गैंग रेप के बाद बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुए। कई हफते तक दिल्ली में धरने प्रदर्शन होते रहे। लगभग हर वर्ग से बलात्कारियों के लिए कठोर सज़ा की मांग की गई। सज़ा–ए मौत की मांग भी की गयी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सबका कोई असर समाज पर नहीं पड़ा। एक ओर धरने प्रदर्शन हो रहे थे तो दूसरी ओर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं भी अपनी रफतार से चल रहीं थीं और आज भी जारी हैं। अभी 24 फरवरी 2013 ई0 की रात दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे पर दो नवजवानों ने एक 25 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। वे दोनों उसका अपहरण करना चाहते थे, लेकिन महिला उनके इरादे को भांप लेने के बाद उन्हें इसका मौका नहीं दे रही थी। असफल रहने पर नवजवानों ने उसे गोली मार दी। दोनों नवजवान शराब के नशे में धुत थे।

सराय काले खां की इस घटना ने दिल्ली को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताये जाने की एक बार फिर पुष्टि कर दी है। दिल्ली में बस अड्डे जैसे भीड़–भाड़ वाले इलाके में 8 बजे शाम को हत्या की यह घटना उस वक़्त अजांम दी गयी, जबकि हैदराबाद बम धमाके के बाद दिल्ली में वैसे ही हाई अलर्ट की घोषणा की हुई थी। जहां उस महिला को गोली मारी गयी वहां आमतौर से हर वक़्त पुलिस मौजूद होती है और वह समय तो वैसे भी वहां का पीक आवर था, और वहां पर ज़्यादा ही चौकसी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अपराधियों पर पुलिस की मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह पुलिस की लापरवाही भी है। और उसका भ्रष्ट आचरण भी। पुलिस कितनी चौकस है इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाई अलर्ट में भी लोग अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं और पुलिस उनकी तरफ़ से लापरवाह है। अख़बारों में आयी ख़बर के अनुसार उस महिला (पूजा) का हत्यारा और उसका साथी दोनों नशे में धुत थे। भजनपुरा से सराय काले ख़ां (लगभग 30 कि0मी0) तक मोटर साइकिल पर पहुंचने में उन्हें सैकड़ों पुलिस वालों के सामने से गुज़रना पड़ा होगा, लेकिन किसी ने भी न उनके पास मौजूद अवैध हथियार का नोटिस लिया और न ही उनके नशे में होने का।

चारों ओर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हत्यारा तो महिला को सरेआम गोली मार कर भाग ही गया था, मगर स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के

हवाले कर दिया। महिला की मौत तो मौक़े पर ही हो गयी थी, लेकिन उसे एम्स के ट्रामा सेन्टर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान 25 वर्षीय पूजा के रूप में हुई जो भजनपुरा में अपने दोस्त मोहन प्रकाश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। घटना के समय मोहन प्रकाश भी उसके साथ था। हत्यारा मुंशी यादव मूल रूप से सहरसा, बिहार का रहने वाला है और वह भी भजनपुरा में ही रहता है। मृतक और हत्यारा एक–दूसरे से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुंशी ने पूजा से बातचीत की थी। वह पूजा को अपने साथ चलने को कह रहा था मगर वह तैयार नहीं हुई तो उसने अपने देसी कट्टे से तीन गोलियां चला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और सात राउंड ज़िन्दा कारतूस भी बरामद किया।

16 दिसम्बर वाली सामूहिक बलात्कार की घटना हो या पूजा हत्या कांड या बलात्कार और हत्या का कोई भी मामला, शराब की इनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शराब को सही अर्थों में पाप जननी कहा गया है। बहुत सी बुराइयों की शुरुआत शराब पीने के साथ ही होती है। सच्चाई यह है कि नशा किसी भी आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। शराब पीने के बाद भले–बुरे का अन्तर समाप्त हो जाता है फिर उसे बुराई से रोकने वाली कोई शक्ति नहीं रह जाती। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा कर ही इन बुराइयों पर क़ाबू पाया जा सकता है। जब तक समाज में शराब का प्रचलन मौजूद रहेगा यहां नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं की जा सकती और नैतिक मूल्यों के अभाव में समाज का प्रत्येक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। समाज में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और शिक्षा के बाज़ारीकरण के पीछे नैतिक मूल्यों का ह्रास ही ज़िम्मेदार है।

शराब पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार की नीति इसे बढ़ावा देने वाली ही रही है। हालांकि आज़ादी के बाद 'राष्ट्रपिता' गांधी जी ने सरकार को शराब पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था, मगर गांधी जी के सम्मान का दावा करने वाली सरकार ने उनके सुझाव पर कभी अमल नहीं किया। सरकार ने एक मद्य निषेध विभाग बना रखा है जो शराब से होने वाली नुक़्सानों को रेखांकित करने वाले विज्ञापन देने और होर्डिंग लगाने के अलावा कोई काम नहीं करता। दूसरी ओर राजस्व प्राप्त करने के नाम पर शराब की बिक्री को ख़ूब प्रोत्साहित किया जा रहा है। आबकारी विभाग शराब की नई–नई दुकानें खोलने का लाइसेंस देता है।

हालांकि शराब की बिक्री से राजस्व की प्राप्ति एक धोखा ही है। शराब बेचने से जितनी आमदनी सरकार को हो सकती है या होती है, देश का उससे कहीं ज़्यादा नुक़्सान हो जाता है। जिस अनुपात में शराब की बिक्री बढ़ती है उससे कई गुना ज़्यादा अनुपात में अपराध बढ़ जाते हैं, जिसको नियंत्रित करने के नाम पर एक मोटी

रक़म सरकार को ख़र्च करनी पड़ती है। लेकिन सरकार इस जाल से निकलने को तैयार नहीं है। शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए वह नित नये तरीके आज़माती रहती है। आबकारी विभाग ने राजधानी दिल्ली में संपन्न और शौक़ीन शराबियों, महिलाओं और विदेशियों को लुभाने के लिए शराब की दुकानों को आकर्षक बनाने की परियोजना पर काम शुरु कर दिया है। दुकानों को सजाने संवारने के साथ–साथ वहां मौजूद कर्मचारियों को भी क़ीमती और स्मार्ट यूनीफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछले दो वर्षों के दौरान आबकारी विभाग को शराब की बिक्री से मोटी कमाई हुई है, इसलिए वह ग्राहकों को और अधिक सुविधा और बेहतर माहौल देना चाहता है। महिलाओं और विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों को नया लुक देना भी योजना में है। ज्ञातव्य है कि राजधानी दिल्ली में शराब की 571 दुकानें हैं, जिन पर हर तरह की शराब मिलती है। विभिन्न मॉलों में भी शराब की 33 दुकानें हैं। चालू वित्त वर्ष में विदेशी शराब की बिक्री में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे विभाग बहुत उत्साहित है।

विभाग का यह उत्साह देश और देश की जनता दोनों के लिए घातक है। शराब की बिक्री बढ़ाकर समाज को तबाही की ओर धकेलने के बजाय सरकार को समाज निर्माण के कामों में ध्यान देना चाहिए। आबाकारी विभाग और पूरा प्रशासन इस बात को लेकर बहुत खुश है कि महिलाएं भी शराब की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रही हैं, जबकि यह खुशी की नहीं चिंता की बात है, जिस समाज में महिलाएं भी शराब जैसी बुराई में लिप्त हो जाएं, वहां भलाई के पनपने की कोई आशा बाक़ी नहीं रहती। समय रहते इसे समझने की ज़रूरत है, ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर ....

उत्तरः इस्लामी तालीमात की रू से गैर मुस्लिमों को दावत देना और उनको अपने प्रोग्रामों में शामिल करना जाइज़ ही नहीं बल्कि बेहतर है, अगर नियत यह हो कि इस तरह वह इस्लाम से मानूस होंगे अगर वह इस्लाम कुबूल न करें तो कम से कम इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में उनका रवय्या नर्म होगा। तो उनको दावत देना बाइसे अज्र व सवाब भी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इस बात का हुक्म दिया गया कि आप अपने क़रीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाएं तो आप ने बनू हाशिम को जमा फरमाया और उनके लिए खाने का एहतिमाम भी फरमाया (अददुर्रुल मन्सूर 181/5)

इससे मालूम हुआ कि अच्छी नियत से अगर गैर मुस्लिमों को दावत दी जाए तो यह बाइसे सवाब और इत्तिबाए सुन्नते नबवी है।

❖❖❖

(संस्था का लेखक से सहमत होना आवश्यक नहीं)

जिन्सी तशद्दुद (यौन हिंसा)

—मुहम्मद ज़बीहुल्लाह तैमी

हमारा मुल्क हिन्दोस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारा देश विभिन्न मैदानों में खुली हुई सफलताएं प्राप्त की हैं, 60 वर्ष के समय में साइंस तथा टेक्नालोजी और शिल्प, उद्योग तथा कृषि के मैदान में जो उपलब्धियां हुई हैं वह सराहनीय हैं परन्तु यह भी वास्तविकता है कि इन आश्चर्य जनक उन्नतों और सफलताओं के साथ मुल्क के मानवी सुझाव तथा नैतिक भाव तथा सामाजिक परम्पराओं में बड़ा पतन आया है। पहले के मुकाबले में करप्शन बहुत व्यापक हो गया है अपराध भयानक रूप धारण कर चुके हैं, चोरी, डकैती, घपला, घूस साधारण वस्तुएं बन गये हैं सब से अधिक खेद जनक बात यह है कि स्त्रियों के शोषण में बड़ा उछाल आया है। नारियों की इज़्ज़त अशुरक्षित हो चुकी है, सामाजिक हिन्सा, व्यभिचार और सामूहिक बलात्कार दिनचर्या बन चुके हैं। ना किसी का भय है ना किसी बात का डर, खुले आम और चौराहों पर स्त्रियों को हवस का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी इज़्ज़त लूटी जा रही है उन पर हिन्सक आक्रमण किये जा रहे हैं कामी भेड़िये उन्हें फाड़ खाये जा रहे हैं उस का ताजा उदाहरण गत 16 दिसम्बर 2012 की दिल्ली की चलती बस में पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा मिर्भया दामिनी के साथ होने वाली घटना है, 6 अत्याचारी जवानों ने उस के साथ अपनी पशुवृत की पूर्ति की और उसके विशेष अंग को लोहे से जख़्मी करके फलाई ओवर से नीचे फेंक दिया, पन्द्रह दिनों तक अपने मुल्क से सिंगापुर तक इलाज होता रहा परन्तु वह बच न सकी और 29 दिसम्बर को वह संसार से विदा हो गई, इस घटना की गूंज केवल देश में ही नहीं देश के बाहर भी सुनी गई। कई दिनों तक लोगों ने अपराधियों के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किये, कई दिनों तक देश तथा देश के बाहर विरोध में कैन्डिल मार्च निकाले गये, महीनों समाचार पत्रों में बयानात आते रहे। अपराधियों को कठोर दन्ड देने की मांगें होती रहीं बड़ी मुशकिल से लोगों के भड़के जज़बात एंव आक्रोश पर काबू पाया गया। परन्तु ध्यान देने की यह बात है कि क्या यह घटना अपने रूप में पहली है? कदापि नहीं, समाचार पत्रों तथा दूरदर्शन के चैनलों पर निगाह रखने वाले जानते हैं कि इस तरह की घटना तो हर दिन देश के किसी न किसी कोने में घटती रहती है, हर दिन कहीं न कहीं स्त्रियों की इज़्ज़त व आब्रू लूटी जा रही है मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। खुद दिल्ली में इससे पहले 600 बलात्कार

के मुआमले सामने आ चुके थे। नेशनल क्राइम ब्योरो ने इस सम्बंध में जो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है वह बहुत ही चौंका देने वाली है, इस रिपोर्ट में उन्नति प्राप्त तथा उन्नतिशील हिस्सों के दावे की कलई खोल दी है देखिए रिपोर्ट और अनुमान लगाइये कि वार्षिक आब्रू लूटने की कितनी घटनाएं घट रही हैं।

आबादी के लिहाज़ से पिछले सालों में हुए बलात्कार की घटनाएं

प्रान्त	आबादी (करोड़ों में)	2010	2011
बिहार	10.38	795	934
आसाम	3.11	1721	1700
आंध्र प्र0	8.46	1442	1442
केरल	3.33	634	1132
म0प्र0	7.25	3135	3406
महाराष्ट्र	11.23	1599	1781
बंगाल	9.13	2311	2362
उ0प्र0	19.95	1563	2043
राजस्थान	6.87	1571	1800
दिल्ली	1.67	502	572

यह रिपोर्ट चन्द रियासतों को जिनकी जिन्सी जियादती व्यभिचार की घटना प्रकट करती हैं जो पिछले दो सालों में घटीं, अगर पूरे देश में होने वाले व्यभिचार और बलात्कार हर साल की समीक्षा करें तो वह और भी भयानक है चुनांचि 1971 में 2487, 1981 में 5409, 1991 में 10410, 2001 में 16075, 2005 में 18359, 2009 में 21397, 2010 में 22172 और 2011 में 24206 यौन उत्पीड़न की घटनाएं रिकार्ड की गई (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्योरो)।

अगर 2012 ई0 की बात करें तो पुलिस रिकार्डों के अनुसार पिछले वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष में अत्यखिक वृद्धि हुई है।

उक्त रिकार्डों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि दामिनी की घटना पहली घटना नहीं है अपितु ऐसी घटनाएं तो देश में हर दिन घटती रहती हैं मगर इस घटना के व्यापक होने का एक विशेष लाभ यह हुआ कि इसने देश के मुर्दे एहसासात में जान डाल दी, ख़रगोश की नीन्द सोए हुए लोगों को जगा दिया, देश के लोगों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि यौन अपराध से संबंधित जो वैधानिक दण्ड हैं वह अपर्याप्त हैं, इस कानून को और कठोर करने की आवश्यकता है, कुछ लोगों ने यह भी मांग की कि बलात्कार तथा व्यभिचार के विषय में जो इस्लाम का कानून है उस को लागू किया जाए जैसा कि अखिल भारतीय हिन्दू महा सभा के सीनियर लीडर स्वामी ओम जी ने कहा कि व्यभिचार के लिए भारत को शरई कानून जारी करना चाहिए, इसी तरह राष्ट्रीय जन्ता दल के अध्यक्ष लालू प्रसार यादव ने कहा कि आब्रू लूटने जैसे अपराध के लिए भरत को अरब देशों जैसा कठोर कानून बनाना चाहिए जिसमें फांसी की सजा हो, चुनांचि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया गया और मास डेढ़ मास के भीतर इस विषय में कठोर आर्डीनेन्स जारी हो गया, जस्टिस वर्मा ने जो सिफारिशें की थीं उन तमाम को तो जारी नहीं किया गया परन्तु कमीटी के किसी परामर्श को ना मंजूर नहीं किया गया, आर्डीनेन्स में से जिन बातों को मंजूरी दी गई वह निम्न लिखित है--

1. बलात्कार के लिए कम से कम सात साल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद (आजीवन कारावास)

2. बलात्कार के समय जान जाने पर मृत्युदण्ड, या पीड़िता के कोमा में चले जाने पर 20 वर्ष से आजीवन करावास तक की सजा, और समस्या गम्भीर हो तो फाँसी की सजा।

3. यौन अपराध में दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास अथवा फाँसी।

4. सामूहिक बलात्कर पर 20 साल से आजीवन कारावास तक का दण्ड।

5. तलाक़ पाई हुई बीवी के साथ ज़्यादती करने पर दो साल से सात साल तक की सजा।

6. किसी संस्था के जिम्मेदार के द्वारा व्यभिचार पर पांच से दस साल तक कि सजा।

7. पुलिस या किसी फौजी अफसर के द्वारा व्यभिचार पर दस साल से आजीवन कारावास तक की सजा।

8. किसी स्त्री का पीछा करने पर एक साल की सजा

9. घूरने या छुपे अंग की ओर ताक झांक करने पर तीन साल की कैद और पुनः ऐसा करने पर सात साल की कैद।

10. किसी स्त्री पर गन्दा वाक्य बोलने या उसका फोटो लेने पर एक साल की कैद और जुर्माना।

11. गुप्तांगों को छूने या यौन सम्बन्ध की योजना बनाने पर पांच वर्ष का दण्ड तथा जुर्माना।

12. छेड़ने पर एक साल से पांच साल तक की कैद।

13. तेज़ाब डालने पर दस साल से उम्र क़ैद तक की सजा।

14. नंगा करने पर तीन साल से सात साल तक की सज़ा।

यह उक्त आर्डीनेन्स गत 6 फरवरी 2013 से पूरे देश में प्रभावित कर दिये गये हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या इस आर्डीनेन्स के आजाने के बाद स्त्रियों पर यौन हिंसा रुक जाएगी? कदापि नहीं, इस नोटीफिकेशन के बाद भी देश में इसी प्रकार स्त्रियों के साथ यौन अपराध की घटनाएं घट रही हैं। जिस प्रकार पहले घट रही थीं और उसका कोई विशेष प्रभाव दिख नहीं रहा है।

कारण प्रत्यक्ष है कि रोग कुछ और है दवा किसी और रोग की दी जा रही है, वास्तव में रोग नारियों की बेजा आज़ादी है, जब तक इस बेजा आज़ादी पर रोक नहीं लगाई जाएगी जब तक उनको बाजारों में अधनंगा पहनावा पहन कर निकलने से रोका नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई पर्याप्त लाभ प्राप्त न हो सकेगा। चाहे जितना कठोर कानून बनाया जाए इसलिए कि स्त्रियां स्वयं अपने अधनंगे वस्त्रों और फैशन तथा बोल से युवकों को आमंत्रित करती हैं, वह देर रात तक नाइट कलबों पार्कों और तफरीहगाहों में अधनंगे वस्त्रों में घूमती फिरती रहती हैं, यूरोप की अन्धी पैरवी और निर्लजता तथा अशलीलता वाली सभ्यता के अनुकरण में अपने ब्वाय फ्रेंड के साथ मौज मस्ती करती

फिरती हैं। ऐसे में बलात्कार की घटनाएं स्वाभाविक हैं। जब एक नव युवक अपनी आंखों से देखता है कि एक सुन्दरी विवाह के बिना एक युवक से सम्बन्ध स्थापित कर रही है, परन्तु उसको नकार रही है तो उसके अन्दर शत्रुता का उभरना और कुछ और गुस्सा स्वाभाविक है, ऐसे में किसी युवक को बलात्कार से कोई क़ानून नहीं रोक सकता, इस विकार को समाज से दूर करने के के लिए समाज से नंगापन और अशलीलता दूर की जाए और समाज में महा पुराणों और गुरु जनों द्वारा ईशभय पैदा किया जाए।

(तूबा मासिक से ग्रहीत)

❖❖❖

इस्लाम विरोधी प्रश्नों ....

ब्याज दरों पर क़र्ज़ (ऋण) और बीमारी-

शोध से ये बात सामने आई है कि बैंकों से ऋण लेने वाले प्रायः हृदय रोगी बन जाते हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक की आशंका से घिर जाते हैं। उनमें अनिद्रा और मानसिक रोग पैठ बनाने लगता है। इसी प्रकार ब्याज का धंधा करने वाले लोगों में अनेक बीमारियां लग जाती हैं जो उन्हें चैन से जीने नहीं देतीं।

छींक पर 'अलहम्दुलिल्लाह' कहना-

प्रश्नः मुस्लिम लोग छींकते समय "अलहम्दुलिल्लाह" क्यों कहते हैं?

उत्तरः "हज़रत अबूहुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जब किसी को छींक आये तो वह अलहम्दुलिल्लाह कहे ओर उसका भाई अथवा साथी जवाब में यरहमुकल्लाह कहे तो फिर वह जवाब में "यहदीकुमुल्लाह वयुसलिह् बालकुम" कहे। (बुखारी)

नवीन शोध (RESEARCH) ओर हदीस-

जब शोधकर्ताओं ने छींक वाली हदीसों को पढ़ा तो उन्हें शुरु में समझ में नहीं आया कि एक मामूली काम पर इतनी दुआएं पढ़ने की क्या वज है? लेकिन जब गहराई से रिसर्च किया तो पाया कि इन दुआओं का पढ़ना अकारण नहीं है बल्कि ये अल्लाह को धन्यवाद अर्पित करना है, क्योंकि इन्सान के दिमाग की रगों में कभी-कभी हवा रुक जाती है, जिसको निकालने के लिए अल्लाह ने एक प्रेशर की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से हवा नाक के रास्ते निकल जाती है। यदि ये हवा रुकी रही तो फालिज का खतरा मंडराने लगता है। अतः छींकने वाले का अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह के समक्ष धन्यवाद अर्पित करना है।

इसी प्रकार आज की भाग-दौड़ वाली ज़िन्दगी में लोगों को धूल-गुबार आदि के बीच काम करना होता है। वही धूल उनकी नाक में पहुँच कर अनेक बीमारियों का करण बनती है। छींक द्वारा अल्लाह उन सब गन्दगियों को निकाल देता है। अतः अल्लाह के बन्दों का कर्तव्य है कि इस उपकार के बदले उसे धन्यवाद दें।

❖❖❖

बच्चों का हक मां-बाप पर

उर्दू की दो तालीम और कुर्आन पढ़ाओ
दो दीन की तालीम और अख़लाक़ सिखाओ
इस्लाम और ईमान और एहसान को जानें
क्या शिर्क है क्या कुफ़्र है तुम उनको बताओ
माँ-बाप और क़ौम पर बच्चों का है यह हक़
अल्लाह दे तौफ़ीक़ तुम यह हक़ चुकाओ
तरजीह़ दो उक़बा को बच्चों के लिए तुम
इस्लाम को जब सीख लें दुनिया भी पढ़ाओ
बालिग़ हुई औलाद तो तुम उससे कहो यूँ
मख़सूस कोई राह तुम अब अपनी बनाओ
आलिम बनों, फ़ाज़िल बनो, ख़ादिम बनो दीं के
या दीन पर रहते हुए तुम खाओ कमाओ
माहिर बनें हिन्दी में इंगलिश के हों फ़ाज़िल
वह अच्छे चिकित्सक बनें बीटेक कराओ
इम्कान में जितना भी हो, दुनिया में बढ़ें वह
हर हाल में मुस्लिम रहें यह उनको सिखाओ
ज़िन्दा रहो इस्लाम पर, इस्लाम पर हो मौत
इस्लाम की उलफ़त को यूं तुम दिल में बिठाओ
मख़लूक़ की ख़िदमत करो कहता है यह आ़सी
ज़ाहिद रहो, क़ानेअ़ रहो लालच न बढ़ाओ
सरकार की इस्कीम है बच्चें चलें स्कूल
खाएं वहीं खाना और दिन भर रहें मशगूल
इस्कीम है शैतान की इस्लाम न फैले
अल्लाह का है फ़ैसला चाटेगा वह तो धूल
कोशिश करो कि दिन में ही मकतब की हो तालीम
फिर भी अगर मानेअ़ रहे सरकार की इस्कीम
करलो निजी ख़िदमत के औकात में तरमीम
और शाम को बच्चों को दो तुम दीन की तालीम

❖❖❖

ख़ुदा की क़ुदरत

जो चीज़ ख़ुदा ने है बनाई
उसमें ज़ाहिर है ख़ुशनुमाई
क्या ख़ूब है रंग-ढंग सब का
छोटी बड़ी जिस क़दर हैं अशया
रौशन चीज़ें बनाई उसने
अच्छी शकलें दिखाई उसने
हर चीज़ की है अदा निराली
हिकमत से नहीं है कोई ख़ाली
हर चीज़ है ठीक-ठीक लारैब
हैं उसके तमाम काम बेऐब

मिदहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

ज़ुल्मते कुफ़्र में, रौशनी मिल गई
बिअ़सते पाक से ज़िन्दगी मिल गई
अस्ल माबूद की फ़िक्र थी ही नहीं
मुस्तफ़ा आ गये आगही मिल गई
गुलसिताने रिसालत मुकम्मल हुआ
गुलशने ज़ीस्त को इत्रगी मिल गई
नक़्शे पाये मुहम्मद मनारे हुदा
तीरगी चल, कि सुब्हे नवी मिल गई
उनकी ताअ़त बहर तौर लाज़िम हुई
गुमराही से बचें रहबरी मिल गई
आख़री जब नबी दहर में आ गये
हम को रब की शरअ़ आख़री मिल गई
हुब्बे अहमद ही बस हासिले ज़िन्दगी
ख़ैरे उम्मत को यह सरवरी मिल गई
मैंने पकड़ा जो दामन नबी-ए-पाक का
मुझ को हामिद सदाक़त रवी मिल गई

(हामिद सिराजी)

समाज से बुराइयां दूर करें

—अमतुल्लाह तस्नीम

पीठ पीछे बुराई—

अपनी मुसलमान बहनों और भाईयों की वे खराबियां लोगों के सामने बयान करना जो उनमें पाई जाती हों, इसका नाम 'गीबत' (पीठ पीछे बुराई) है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम जानते हो ग़ीबत क्या चीज़ है? सहाबा रज़ि0 ने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़्यादा जानते हैं! आपने फरमाया तुम अपने भाई की ऐसी बात कहो जो उसको नापसंद हो। सहाबा रज़ि0 ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर वह बात उसमें मौजूद हो? आपने फ़रमाया यही ग़ीबत है। और अगर वह बात नहीं है जो तुमने कही है तो यह बोहतान (झूठा आरोप) है।

अब देखना यह है कि यह चीज़ किस स्तर पर हम में मौजूद है। कोई बैठक ऐसी नहीं होती जिसमें ग़ीबत न हो। जहां चार औरतें इकट्ठा हुई, ग़ीबत शुरु हो गई, फिर रूप व्यवहार की बुराई, बुद्धि व आदत की बुराई, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई कंजूस है तो कोई दानी, और रूप की बुराई, बुद्धि व आदत की बुराई तो अल्लाह तआला पर आरोप है, इसलिए कि रूप तो अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:—

"एक दूसरे की ग़ीबत न किया करो, क्या तुम को अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद है? यह तो तुम पसंद नहीं करते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह तौबा स्वीकार करने वाला है"।

इस ज़माने में एक तो भली बात कहने का अभाव है और जो हो भी जाती है वह ग़ीबत की भेंट चढ़ जाती है। स्पष्ट है कि जिसकी हमने आज ग़ीबत की है कल वह हश्र के दिन उसके बदले में हमारी नेकियाँ ले लेगा और हम ख़ाली हाथ रह जाएंगे। अल्लाह तआला ऐसे घाटे से हम सबको बचाए। (आमीन)

चुग़ली व झूठा आरोप—

यह आदत इतनी बुरी है कि इससे आपस में बिगाड़ पैदा होता है और बिगाड़ अल्लाह को बहुत नापसंद है। चुगली खाने वाला हमेशा अपमानित रहता हैं अल्लाह फ़रमाता है। "अपमानित है व्यंग (ताना) करने वाला और चुगलियाँ खाने वाला।

आख़िरत के संबंध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है "हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया चुग़ली खाने वाला जन्नत में न जाएगा"।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुमको बताऊँ कि झूठा आरोप क्या चीज़ है वह चुग़ली जिसके कारण लोगों में बिगाड़ फैलता है।

दो तरह की बातें–

यह आदत भी महिलाओं का स्वभाव बन चुकी है कि मुँह पर प्रशंसा और पीठ पीछे बुराइ यह भी बड़ी ख़राबी और गुनाह की बात है और निफ़ाक़ की पहचान है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं कि कुछ लोगों ने हम से कहा कि हम लोग राजाओं के सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 ने फरमाया रसूल सल्ल0 के ज़माने में हम इस को नेफ़ाक़ (कपटाचार) समझते थे।

हसद (ईर्ष्या)–

यह बीमारी भी औरतों में बहुत पायी जाती है और यह इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे पूरा का पूरा अपना ही घाटा है। जिसमें यह बीमारी है वह दिन–रात दूसरों को बढ़ता देख कर कुढ़ता है और यह जलन–कुढ़न बिल्कुल बेफायदा होती है। फिर इसके कारण जान–माल की छति अलग होती हे और दीन (धर्म) की छति अलग। फिर इस बीमारी से दूसरी और सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे– गुस्सा, जलन, कलह, ख़राबियाँ ढूढ़ना, जितना हसद बढ़ेगा उतनी ही जलन और गुस्सा पैदा होगा, फिर सबसे बड़ी बात यह कि यह तो अल्लाह तआला पर आपत्ति है कि फुलाँ को क्यों दिया हमको क्यों न दिया। अल्लाह तआला फ़रमाता है। "यह जले मरते हैं उस बात पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल (कृपा) से लोगों को दी है।"

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हसद करने से डरो। हसद नेकियों को इस प्रकार खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है।

बदगुमानी (दुर्भावना)–

बदगुमानी भी औरतों की खास बीमारी है बदगुमानी, मिथ्यारोपण (इत्तेहाम) की जड़ है जिसमें यह बीमारी है वह झूठे आरोप लगाने से बच नहीं सकता और झूठा आरोप लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और झूठे आरोप लगाने के भी दो प्रकार हैं, एक तो प्रतिदिन के मामूली मामलात पर, दूसरा प्रकार यह कि भोली–भाली पाकदामन औरतों और लड़कियों पर झूठा आरोप लगाना। यह अल्लाह तआला के गुस्से को भड़काने वाली बहुत बड़ी बात है और घोर पाप है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया है–

"और जब तुम उसको अपनी ज़बान पर लाने लगो और अपने मुंह से ऐसी बात कहने लगो जिसकी तुमको खबर नहीं और तुम उसको हलकी बात समझते हो जबकि अल्लाह के यहां बड़ी बात है।"

इस आदत की वजह से घर के घर तबाह हो गए, पति–पत्नी में हमेशा के लिए अलगाव हो गया, झूठे आरोप लगाने वाले अलग–अलग हो गये और बने घर बिगड़ कर रह गये, यह सब बदगुमानी के करतूत हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"ऐ ईमान वालो! बहुत से गुमानों (भ्रांतियों) से बचते राहे, बेशक कुछ गुमान पाप हैं।"

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया बदगुमानी (दुर्भावना) से बचो, बदगुमानी बहुत झूठी बात है।

शेष पृष्ठ.............. 39 पर

शादी की रस्में

—डॉ0 मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

निकाह एक मसनून अमल है, लेकिन समाज में इसको बहुत पेचीदा बना दिया है। इसके साथ कई बेतुकी रस्मों की पाबन्दी की जाती है। इस्लामी मिज़ाज रखने वाले लोग भी इन रस्मों की पाबन्दी करते नज़र आते हैं। जैसे लड़की की शादी पर बहुत अधिक खाना बनवाया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है और एक आदमी दावत में आने वाले लोगों के नाम पते और इस मौक़े पर दिया गया तोहफ़ा या रक़म दर्ज करता है। दहेज का बड़े पैमाने पर लेन—देन भी आम है। लड़के की शादी में बारात का रिवाज आम है और इस्लामी समझ—बूझ रखने वाले लोग भी इसमें लिप्त हैं। बारात की दावत और बारात लेकर लड़की के घर जाना और खाना—पीना कैसा है? वलीमा और अक़ीक़ा की दावत में आम तौर पर महिलाओं को ज़्यादा बुलाया जाता है और बड़ी धूम—धाम होती है। इन रस्मों के बारे में क़ुर्आन व हदीस की रोशनी में सही मार्गदर्शन दें।

जवाबः निकाह के खुत्बे में क़ुर्आन की जो आयतें पढ़ी जाती हैं, उनमें "अल्लाह से डरो" बार—बार आता है। ये आयतें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि निकाह आदि के मौक़े पर आमतौर से अल्लाह और रसूल की बतायी गई सीमाओं का पालन नहीं किया जाता। जज़्बात, ख़्वाहिशों, अरमान, घर वालों की ज़िद, परिवार और समाज का दबाव, अपनी सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन, धन—दौलत का दिखावा आदि कारक होते हैं, जिनके आधार पर इन आवसरों पर लोग बहुत ख़र्च करते और करवाते हैं। लोग उधार ले कर भी ख़र्च करना ज़रूरी समझते हैं और ज़िनदगी भर उसे चुकाने के लिए परेशान रहते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने कहा "बेहतरीन निकाह वह है जो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हो" (अबू दाऊद)

एक दूसरी हदीस में हज़रत आइशा रज़ि0 की रिवायत है कि अल्लह के रसूल सल्ल0 ने कहा "सबसे बरकत वाला निकाल वह है जिसमें कम से कम ख़र्च हो" (मुसनद अहमद)

शादी—विवाह के अवसर पर अनगिनत रस्में अदा की जाती हैं, जिनमें से अधिकतर हिन्दुओं के अनुसरण में अपनायी जाती हैं। इस्लामी सभ्यता से उनका दूर का भी सरोकार नहीं। अल्लाह के रसूल सल्ल0 और सहाबा के जीवन में इसका कोई सबूत नहीं मिलता।

उदाहरण के लिए दहेज को लें, दहेज की लंबी— चौड़ी मांग की जाती है। अगर मांग न भी की जाए तो भी उम्मीद रखी जाती है और समाज के दबाव में लड़की वाले भी दहेज देना ज़रूरी समझते हैं। यह पूरी तरह हिन्दू सभ्यता का प्रभाव है। हिन्दू समाज में लड़कियों को उत्तराधिकार में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता

इसलिए शादी के अवसर पर उन्हें कुछ दे दिलाकर विदा कर दिया जाता है। इस्लाम में शादी के बाद घर–गृहस्ती का सामान उपलब्ध कराना पति का दायित्व है। लड़के की शादी में बारात का चलन भी हिन्दू समाज से ही लिया गया है। चूंकि हिन्दू समाज में लड़कियों को दहेज के साथ विदा किया जाता था तो अक्सर ऐसा होता था कि चोर–डाकू उन्हें लूट लेते थे। पहले के समय में रास्ते सुनसान थे और यातायात की सुविधा भी अच्छी नहीं थी इसलिए लड़के वालों ने कुछ आदमियों को अपने साथ ले जाना शुरु किया जो विवाह के बाद लौटते हुए दहेज के सामान की रक्षा कर सकें। यही लोग बाराती कहे जाने लगे और धीर–धीरे ये विवाह का एक अनिवार्य अंग बन गये। इस्लाम में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नबी सल्ल0 के समय में ऐसी शादियां भी हुई हैं, जिसमें मदीना में रहते हुए नबी सल्ल0 को शामिल करने की ज़रूरत नहीं समझी गयी।

यही हाल वलीमे का है। इसके नाम पर बड़ी धूमधाम मनायी जाती है ओर नबी सल्ल0 के इस आदेश की पूर्णतः अनदेखी की जाती है "सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है, जिसकी दावत केवल मालदारों को दी जाए और ग़रीबों को उसमें नहीं बुलाया जाए।"

दीन की समझ रखने वालों द्वारा भी इन रस्मों की पाबन्दी करना इसलिए है कि रिश्ता तय करते समय आमतौर पर दीनदारी को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि उसे आख़िरी नम्बर पर रखा जाता है। लोग दूसरों पर प्रभाव डालने के बजाय उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ❑❑

समाज से बुराइयां...............

दिखावा (रियाकारी)–

यह बीमारी भी औरतों में बहुत है, यदा कदा ही कोई औरत बची होगी, यह बीमारी ऐसी भयानक है कि सारी नेकियों पर पानी फेर देने वाली है। सदक़ा–ख़ैरात, नमाज़–रोज़ा करना सब बेफायदा, दुनिया का लाभ केवल थोड़ी देर की वाहवाही और प्रसिद्धि (शोहरत) है कि फुलां औरत खूब नमाज़ें पढ़ती है, ख़ूब रोज़े रखती है, या बहुत सदक़ा–ख़ैरात करती है, बस!! और आख़िरत का घाटा तो बहुत बड़ा है, सारे नेक काम बर्बाद, किया कराया बेकार, क्योंकि खुदा की खुशी के लिए यह काम किये ही नहीं गये कि अल्लाह के दरबार में कुबूल किये जाएं और इनका बदला मिले, दुनिया के दिखावे के लिए किये गये थे, अतः दुनिया वालों से इसकी वाहवाही मिल गई, अगर अल्लाह के लिए किये जाते तो अल्लाह से बदला मिलता। अल्लाह तआला फ़रमाता है– "लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़े"।

दिखावा और शोहरत चाहने का परिणाम एक हदीस में इस प्रकार बयान किया गया है कि हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफियान रज़ि0 कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया "जिसने कोई भला काम इस मकसद से किया कि लोग सुनें और वह मशहूर हो तो अल्लाह तआला क़यामत में उसको मशहूर करेगा और उसको अपमानित करेगा और जो अल्लाह के लिए काम करेगा तो अल्लाह तआला उसको अच्छा बदला देगा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

विवादित ढांचा मामले में सीबीआई को फटकार-

भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य अभियुक्तों द्वारा अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने को राष्ट्रीय अपराध बताने की सीबीआई की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति की। कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में अदालत का फैसला होने तक इस तरह की भाषा का प्रयोग न किया जाए।

न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान एजेंसी की शब्दावली पर कड़ी आपत्ति की। न्यायधीशों ने कहा, इसे राष्ट्रीय अपराधया राष्ट्रय महत्व का मामला न कहें। हमें अभी इसका फैसला करना है। हमारे या निचली अदालत द्वारा किसी के भी पक्ष में फैसला सुनाए जाने तक आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव ने कहा कि भजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेता राष्ट्रीय साजिश में शामिल थे जो रथयात्रा से परिलक्षित होती है और यह राष्ट्रीय अपराध का मामला है। पीपी राव विशेष अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस कर रहे थे।

गुजरात दंगों की जवाबदेही तय होनी चाहएः ईयू-

भाजपा की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है। मोदी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनता के सभी वर्गों से संपर्क बढ़ाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी बीच यूरोपीय संघ ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

गुजरात विधानसभा चुनाव में विजय के बाद पिछले महीने मोदी से मिलने वाले यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 2002 दंगों का मामला उठाया था।

भारत में ईयू के राजदूत जोआओ क्राविन्हो ने कहा, '2002 के दंगों में क्या हुआ? इस पर चर्चा करने के लिए मोदी हमारे निमंत्रण पर भोज बैठक में आए थे। चर्चा करने वाले विषयों में 2002 दंगों के संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया, जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठे। गुजरात में विकास और हाल की चुनावी विजय के बारे में भी चर्चा हुई।' यह पूछे जाने पर कि क्या दंगों के बाद 10 साल तक मोदी का बहिष्कार करने वाला ईयू उनके प्रति नरम पड़ रहा है, उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि 2002 में जो हुआ उसकी जवाबदेही भारत और दुनिया भर के लोगों के हित में है।

❖❖❖